

अध्याय-2
निष्पादन तथा अनुपालन लेखापरीक्षा
(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय-2

निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

क. सामान्य

2.1 कर प्रशासन

2.1.1 बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर सरकारी स्तर पर, सरकार के मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा शासित किए जाते हैं। राज्य के कर विभाग के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य राज्य कर आयुक्त को सौंपा गया है। तीन अपर आयुक्तों, (जम्मू एवं कश्मीर डिवीजन प्रत्येक के लिए एक तथा एक कर योजना के लिए), 19 उपायुक्तों, (जम्मू: 09; कश्मीर: 08 तथा मुख्यालय: 01 एवं न्यायिक मामले: 01) तथा 10 सहायक आयुक्तों (जम्मू: 05 कश्मीर: 05) द्वारा राज्य कर आयुक्त के कार्यों में सहयोग किया जाता है। राज्य को 63 राज्य करों के सर्कलों (जम्मू 30; कश्मीर 33) में बांटा गया है, प्रत्येक की अध्यक्षता एक राज्य कर अधिकारी द्वारा की जाती है।

2.1.2 राज्य उत्पाद शुल्क

जम्मू और कश्मीर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, जम्मू और कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम 1901 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग की अध्यक्षता उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा की जाती है, जिन्हें पांच उप उत्पाद शुल्क आयुक्तों (जम्मू: 04; कश्मीर: 01) और 16 उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारियों (जम्मू: 10; कश्मीर: 06) द्वारा कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। 20 डिस्टिलरी/ बॉटलिंग प्लांट हैं जो उत्पाद शुल्क तथा कराधान अधिकारी, डिस्टिलरीज, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

2.1.3 वाहनों पर कर

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केंद्र तथा राज्य मोटर अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा यह परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और विधि विभाग की कुल 402 इकाइयों में से 94 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से, 33,237 मामलों में, ₹377.77 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/ कम उदग्रहण का पता चला, जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
बिक्री कर, व्यापार/ वैट आदि			
1.	अवनिर्धारण कर	114	25.25
2.	बिक्री/ खरीद के छिपाव के कारण कर अपवंचन	424	128.97
3.	इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित/ गलत/ अधिक अनुमति	54	3.52
4.	अन्य अनियमितताएं	266	16.72
	कुल	858	174.46
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क			
1.	संपत्ति का कम मूल्यांकन/ कम उगाही	621	1.13
2.	गैर-जवाबदेही/ कम जवाबदेही/ कम कटौती	01	0.07
3.	अन्य अनियमितताएं	03	0.35
	कुल	625	1.55
मोटर वाहन कर			
1.	कम कटौती/ गैर और कम जवाबदेही	94	0.01
2.	अन्य अनियमितताएं	31,659	16.56
3.	"वाहनों पर कर अधिरोपण और संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	185.19
	कुल	31,754	201.76
	कुल योग	33,237	377.77

बिक्री, व्यापार, वैट आदि, स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन करों पर देखे गए श्रेणी वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष, क्रमशः चार्ट-2.1, 2.2 और 2.3 में दर्शाए गए हैं।


चार्ट-2.1

(₹ करोड़ में)




चार्ट-2.2

(₹ करोड़ में)



चार्ट-2.3

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान विभाग ने विभिन्न शीर्षों के तहत ₹53.38 लाख के राजस्व की वसूली की जो पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

ख. निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग

2.3 “वाहनों पर कर अधिरोपण और संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग राज्य में वाहन चलने को नियंत्रित करता है और वाहनों के पंजीकरण, परमिट देने और फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग वाहन चालकों, कंडक्टरों को भी लाइसेन्स जारी करता है और वाहन व्यापारियों को व्यापार करने का लाइसेन्स देता है। यह प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों को प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजस्व प्राप्तियों की उगाही हेतु विभाग की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, राजस्व संग्रहण में कमी 11 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य, हालांकि 135 प्रतिशत के स्तर तक प्राप्त किए गए थे जो पिछले दो वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में काफी कम थे।

(पैराग्राफ: 2.3.6)

- आठ (11 में से) चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ/ एआरटीओ) में पंजीकृत 21,918 निजी वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्रों का निर्धारित समय सीमा के बाद भी नवीकरण नहीं करने के कारण ₹6.12 करोड़ के पंजीकरण शुल्क/ कर की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.8)

- 91 पंजीकृत डीलरों द्वारा अस्थायी पंजीकरण शुल्क की दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹3.54 करोड़ के शुल्क की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.8.1)

- अखिल भारतीय/ अखिल जम्मू और कश्मीर मार्ग के यात्री वाहनों के रूट परमिट, जिला रूट परमिट और राष्ट्रीय परमिटों के लंबे समय से अधिकार के गैर-नवीकरण के परिणामस्वरूप ₹11.16 करोड़ के नवीकरण शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.11.1 से 2.3.11.3)

- गुड्स एजेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़, प्रदूषण नियंत्रण जाँच केंद्रों, ड्राइविंग संस्थानों और व्यवसाय प्रमाणपत्रों के लाइसेन्सों का समय पर नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹157.04 लाख की वसूली नहीं/ कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.12 से 2.3.16)

- चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा से, पूर्व-संशोधित दरों पर हाइपोथिकेशन शुल्क प्रभारित करने से 10,239 हाइपोथिकेशन करारों पर ₹1.24 करोड़ का आधिक्य शुल्क तथा 2,479 हाइपोथिकेशन करारों में ₹0.02 करोड़ का अल्प शुल्क प्रभारित करने का पता चला।

(पैराग्राफ: 2.3.17)

2.3.1 प्रस्तावना

मोटर वाहनों का पंजीकरण, लाइसेन्स/ परमिट जारी करना, और राज्य में शुल्क और करों का उद्ग्रहण और संग्रहण को मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम 1989, जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन कराधान (जेकेएमवीटी) अधिनियम, 1957 तथा जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन (जेकेएमवी) नियमावली, 1991 के तहत विनियमित किया जाता है। वीएचएन और एसएआरएटीएचआई सॉफ्टवेयर्स की अवधारणा राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए मूल उत्पाद में विशिष्ट रूप से निर्माण के साथ सेन्ट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988, के साथ-साथ राज्य मोटर वाहन नियमावली द्वारा अधिदेशित कार्यात्मकता का पता लगाने के लिए की गई है। वीएचएन 4.0 और एसएआरएटीएचआई 4.0 का उन्नत संस्करण जम्मू और कश्मीर राज्य (लेह और कारगिल को छोड़कर) में 25 नवंबर 2016 से लागू किया गया था। हालांकि, लेह में इसे 19 मार्च 2018 से और कारगिल में 26 जुलाई 2018 से लागू किया गया था। वीएचएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरटीओ/ एआरटीओ की सभी प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण ने वाहनों/ नागरिकों की सूचना का संपूर्ण डाटाबेस बनाने की सुविधा प्रदान की है। वीएचएन वाहनों के पंजीकरण, परमिट, कर, फिटनेस और प्रवर्तन पर पूर्ण रिपोर्ट प्रदान करता है। एसएआरएटीएचआई ड्राइवर्स का अखिल भारतीय डाटाबेस प्रदान करता है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव (परिवहन) मोटर वाहन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और परिवहन आयुक्त कार्यकारी प्रमुख होता है। परिवहन आयुक्त की सहायता तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹ (आरटीओ) और 19 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों² (एआरटीओ) द्वारा की जाती है। परिवहन आयुक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, एमवी अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित

¹ श्रीनगर, जम्मू और कठुआ

² अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, कारगिल, कुलगाम, कुपवाड़ा, लेह, पुलवामा, शोपियां, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर

करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों³ (आरटीए) की गतिविधियों का समन्वय और विनियमन करता है। आरटीओ/ एआरटीओ वाहनों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण, ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने, एमवीटी (रोड टैक्स) संगृहीत करने, परमिट जारी करने और अधिनियम और नियमों में वर्णित विभिन्न शुल्कों का संग्रहण करने के लिए लाइसेन्स प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:-

- कर उदग्रहण और कर संग्रहण करने के लिए अधिनियमों/ नियमों में प्रावधानों का पालन करने की प्रणाली थी तथा यह कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग के अनुरूप और पूरक थी;
- विभाग में कार्यरत वीएचएएन और एसएआरएटीएचआई जैसे कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग पर्याप्त, पूर्ण, सटीक और वांछित परिणाम देने वाले हैं; तथा
- राजस्व लीकेज को रोकने के लिए विभाग में पर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

2.3.4 कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

जनवरी 2018 से अगस्त 2018 के बीच, परिवहन आयुक्त कार्यालय, सभी तीनों आरटीओ⁴ और आठ (19 में से) एआरटीओ⁵ की 2013-14 से 2017-18 की अवधि को शामिल करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। आकार के माप के रूप में एमवीटी प्राप्तियों को लेकर प्रतिस्थापन के बिना आकार के संभावना अनुपात को (पीपीएसडब्ल्यूआर) विधि के आधार पर चयन किया गया था। वाहन रिकॉर्ड्स का चयन सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग विधि और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से किया गया था।

3 जनवरी 2018 को परिवहन आयुक्त के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सरकार/ विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए अक्टूबर 2018 में भेज दिया गया था। 11 जनवरी 2019 को विभाग के साथ एक एग्जिट कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, विभाग के उत्तरों और मतों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

³ जम्मू, श्रीनगर और कठुआ

⁴ जम्मू, कठुआ और श्रीनगर

⁵ उधमपुर, राजौरी, सांबा, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा और लेह

2.3.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988
- केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियमावली 1989
- जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन कराधान (जेकेएमवीटी) अधिनियम, 1957
- जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन (जेकेएमवी) नियमावली, 1991; तथा
- विभाग और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और अधिसूचनाएं।

2.3.6 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्तियां जम्मू-कश्मीर की कुल प्राप्तियों में इसका योगदान और 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान संग्रह की लागत नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका-2.3.1: निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष-वार राजस्व संग्रहण


(₹ करोड़ में)						
वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)	राज्य द्वारा कर राजस्व का सृजन	कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में एमवीटी	वाहनों की संख्या (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013-14	151.60	134.23	(-) 17.37 (11)	6,272.74	2.13	11.33
2014-15	159.55	132.34	(-) 27.21 (17)	6,333.95	2.09	12.44
2015-16	183.00	145.15	(-) 37.85 (21)	7,326.19	1.98	13.65
2016-17	199.50	149.71	(-) 49.79 (25)	7,819.13	1.91	14.88
2017-18	168.51	228.11	(+) 59.60 (35)	9,536.40	2.39	16.57

(स्रोत: वित्त लेखे, विभागीय आंकड़े, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं)

मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों ने 2013-18 के दौरान बढ़ते रुझान को दिखाया। मोटर वाहन कर प्राप्तियां पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य की अपनी कर प्राप्तियों का लगभग दो प्रतिशत हैं। बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व संग्रहण में 2013-14 से 2016-17 के दौरान कमी 11 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच थी। 2017-18 के दौरान, पिछले वर्ष की प्राप्ति के मुकाबले, राजस्व प्राप्तियों में 52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। ड्राइविंग लाइसेन्स, व्यापार प्रमाण पत्र, पंजीकरण, हाइपोथिकेशन और फिटनेस शुल्क आदि की दरों में संशोधन के कारण वृद्धि हुई। हालांकि, 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 135 प्रतिशत के स्तर तक प्राप्त किया गया जो कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी कम था। उत्तर में, परिवहन आयुक्त ने कहा (अक्टूबर 2018) कि वित्त विभाग द्वारा वास्तविक

उपलब्धियों पर विचार किए बिना वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य को यांत्रिक रूप से निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की कमी को ध्यान में रखते हुए 2017-18 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसे पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया।

2.3.7 गतिविधि प्रवाह चार्ट



स्टेज कैरिज बसें वे वाहन हैं जो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के चरणों के लिए अलग-अलग यात्रियों द्वारा या उनके लिए भुगतान किए गए किराए या प्रतिफल के लिए चालक को छोड़कर छह से अधिक यात्रियों को ले जाते हैं।

निजी सेवा वाहन वे वाहन होते हैं, जो किराए या प्रतिफल के अलावा उनके अन्य व्यापार या व्यवसाय के संबंध में या व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजन हेतु उनके मालिक द्वारा या उसकी ओर से उपयोग किए जा रहे ड्राइवर को छोड़कर, छः से अधिक यात्रियों को ले जाते हैं परन्तु इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन शामिल नहीं होते हैं।

कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से तात्पर्य एक मोटर वाहन है जो एक यात्री या यात्रियों को किराए या प्रतिफल के लिए स्थान से स्थान तक ले जाता है और अनुज्ञप्तिधारक व्यक्ति द्वारा की गई संविदा के तहत काम पर लगाए गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.8 निजी वाहनों/ दुपहिया वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण न होना

एमवी अधिनियम, 1988 यह उपबंधित करता है कि परिवहन वाहन के अलावा अन्य मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नवीकरणीय होगा। आवेदन की प्राप्ति पर, पंजीकरण प्रमाणपत्र का पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जाता है तथा मूल पंजीकरण प्राधिकारी को वास्तविकता सूचित करनी होती है।

वीएचएएन के डाटा विश्लेषण से यह पता चला कि, कुल, 4,31,459 निजी कारें तथा 8,06,001 दुपहिया वाहन 11 चयनित आरटीओ/ एआरटीओ में पंजीकृत थे। जिसमें से वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 15,075 निजी कारों का तथा 12,672 दुपहिया वाहनों का पंजीकरण आठ⁶ आरटीओ/ एआरटीओ में पंजीकरण के नवीकरण के लिए देय था। हालांकि, केवल 5,829 वाहन मालिकों (कार: 4,782; दुपहिया वाहन: 1,047) (21 प्रतिशत) ने अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के दौरान अपने नवीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए। शेष 10,293 निजी कारों और 11,625 दुपहिया वाहनों के मालिकों ने न तो पंजीकरण का नवीकरण करवाया और न ही पंजीकरण प्रमाणपत्र को 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पंजीकरण प्राधिकारी को सौंपा। विभाग ने पंजीकरण के नवीकरण के लिए इन वाहन मालिकों के प्रति कोई

⁶ जम्मू, कठुआ, राजौरी, उधमपुर, सांबा, श्रीनगर, बडगाम, तथा कुपवाड़ा

कार्रवाई नहीं की थी। इन 21,918 वाहनों के संबंध में राजस्व निहितार्थ ₹6.12 करोड़ (पंजीकरण शुल्क/ मोटर वाहन कर⁷) था।

इस विषय में बताए जाने पर, संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ और परिवहन आयुक्त ने बताया कि चूककर्त्ताओं को उनके वाहनों के पंजीकरण के नवीकरण के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और तदनुसार उनसे राजस्व की वसूली की जाएगी। मार्च 2008 में समाप्त अवधि के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के गैर-नवीकरण को पूर्व प्रतिवेदन में बताया गया था।

आरसी को वापिस न करने पर नजर न बनाए रखने और वीएचएएन 1.0 में रिपोर्ट के सृजन से संबंधित प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों का पुनः नवीकरण नहीं हुआ। वीएचएएन 4.0 उन वाहनों की सूची बनाने के लिए तिथि-वार तथा पंजीकरण संख्या-वार रिपोर्ट बना सकता है, जिनका पुनः पंजीकरण बकाया है। विभाग को प्रभावी व्यवस्था के लिए एक सक्षम तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि वीएचएएन 4.0 में उपलब्ध विशेषताओं के लाभ को उपयोग में लाया जा सके।

2.3.8.1 डीलरों द्वारा अस्थाई पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण

जेकेएमवी नियमावली 1991 के अनुसार, डीलर को सीएमवी नियमावली 1989 के नियम 81 के तहत वर्णित प्रत्येक बेचे गए वाहन के संबंध में अस्थाई पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। भारत सरकार की अधिसूचना (दिसंबर 2016) के अनुसार, वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में, दिनांक 29 दिसंबर 2016 से प्रभावी अस्थाई पंजीकरण शुल्क की संशोधित दरों का समर्थन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा 11 जनवरी 2017 को किया गया।

दो आरटीओ (जम्मू और श्रीनगर), जो की अस्थाई पंजीकरण जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं, के रिकॉर्ड्स की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि 11 जनवरी 2017 के बाद से 31 अक्टूबर 2017 तक पंजीकृत 1,08,011 वाहनों के संदर्भ में देय ₹4.97 करोड़ के अस्थाई पंजीकरण शुल्क के प्रति 91 पंजीकृत डीलरों द्वारा केवल ₹1.43 करोड़ की वसूली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹3.54 करोड़⁸ की कम वसूली हुई।

⁷ नवीकरण शुल्क: (कार: ₹600; दुपहिया वाहन: ₹300); प्रयोक्ता शुल्क: (कार: ₹200; दुपहिया: ₹100); पाँच वर्षों के लिए मोटर वाहन कर: (कार: ₹3,000; दुपहिया: ₹1,500)

⁸ आरटीओ जम्मू: ₹2.32 करोड़; आरटीओ श्रीनगर: ₹1.22 करोड़

आरटीओ जम्मू ने कहा (मार्च 2018) कि अस्थाई पंजीकरण शुल्क की कम वसूली दरों के संशोधन के ऑर्डर की प्रतिलिपि नहीं मिलने के कारण हुई तथा देय राशि डीलरों से वसूल की जाएगी।

विभाग एक ऐसी स्वचालित प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकता है जहां विभाग में जारी अधिसूचनाओं को कार्यालयी बेवसाइट पर जारी किया जाए तथा इन्हें विभाग में संबंधित सभी को ई-मेल द्वारा परिचालित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यक हो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अधिसूचित दरों को अद्यतित करने के लिए प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय-समय पर जारी निर्धारित दरों के अनुसार राजस्व की वसूली की गई है।

2.3.9 कर का उद्ग्रहण तथा बकाया करों पर जुर्माना न लगाना

जेकेएमवीटी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, एमवीटी सभी प्रकार के वाहनों पर निर्धारित दरों पर उद्ग्रहण हैं और एक समान तिमाही किश्तों में अग्रिम रूप से वसूली योग्य है। देय तिथि तक कर का भुगतान न करने पर देय कर के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। जहां पर किसी वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान नहीं किया गया हो, तो वहां विभाग वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर सकता है। यदि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है तो भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूला जा सकता है। समय-समय पर करों की लागू दरें **परिशिष्ट 2.3.1** में दी गई हैं:-

11 चयनित आरटीओ/ एआरटीओ की कर चूककर्ता रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि 40,337 वाहनों के संबंध में ₹27.36 करोड़ के एमवीटी की वसूली नहीं की गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-2.3.2: आरटीओ/ एआरटीओ की नमूना जांच में बकाया एमवीटी का विवरण

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	कुल जनसंख्या	आपत्तियों में लिप्त मामले	सम्मिलित आरटीओ / एआरटीओ	आपत्ति की प्रकृति	देय राशि	भुगतान की गई राशि	आपत्ति में सम्मिलित मामलों में देय राशि
						(₹ करोड़ में)		
1	बसें	12,603	1,610	11	बकाया एमवीटी	11.78	10.85	0.93
2	मोटर कैब/ शैक्षिक बसें	17,380	1,010	10 ⁹	बकाया एमवीटी	3.47	3.20	0.27
3	गुड्स कैरियर/ अन्य वाणिज्यिक वाहन	92,436	22,585	11	बकाया एमवीटी	95.25	76.97	18.28
4	मैक्सी कैब	36,802	4,413	11	बकाया एमवीटी	15.20	14.03	1.17

⁹ एआरटीओ अनंतनाग में अनियमितताएं नहीं पाई गईं

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	कुल जनसंख्या	आपत्तियों में लिप्त मामले	सम्मिलित आरटीओ / एआरटीओ	आपत्ति की प्रकृति	देय राशि	भुगतान की गई राशि	आपत्ति में सम्मिलित मामलों में देय राशि
5	तिपहिया वाहन (गुड्स)/ तिपहिया (यात्री)	56,278	10,719	10 ¹⁰	बकाया एमवीटी	14.17	7.46	6.71
	कुल	2,15,499	40,337			139.87	112.51	27.36

लम्बित बकाया की वसूली करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। “वीएचएएन 4.0” से तैयार की गई रिपोर्ट में ऐसे कर के 2 प्रतिशत प्रति माह की दर पर जेकेएमवीटी अधिनियम 1957 की धारा 7ए के तहत ब्याज की गणना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जहां किसी वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान नहीं किया गया हो और इसकी गणना मैनुअली रूप से की जा सके।

वीएचएएन 4.0” से सृजित 11 नमूना आरटीओ/ एआरटीओ के कर भुगतान के डाटा के विश्लेषण की अप्रैल 2013 से मार्च 2018 की अवधि की रिपोर्ट से यह भी पता चला कि 88,863 मामलों¹¹ (8 प्रतिशत) में वाहन मालिकों द्वारा कर का भुगतान करने में देरी की गई जिसके लिए 2 प्रतिशत की निर्धारित दर से जुर्माने का उद्ग्रहण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹10.58 करोड़ के जुर्माने का कम उद्ग्रहण हुआ।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ तथा परिवहन आयुक्त ने बताया कि बकाया एमवीटी के भुगतान के लिए चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमों के तहत राजस्व की वसूली की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने यह भी कहा (अक्टूबर 2018) कि देरी से कर का भुगतान करने पर जुर्माना लगाने के लिए वीएचएएन सॉफ्टवेयर बनाने हेतु एनआईसी से बात की जाएगी। मार्च 2011 तथा मार्च 2013 को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में भी इस बात को इंगित किए जाने और विभाग द्वारा इसका पुष्टिकरण (सितंबर 2011), कि मामले पर एनआईसी के साथ बात की जाएगी, के बावजूद भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

चूककर्त्ता वाहन मालिकों से देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जब भी वाहन मालिक किसी विशेष नवीकरण के लिए आवेदन करेगा तो जुर्माना/ आर्थिक दंड सहित सभी बकाया देयताओं का संग्रहण करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

¹⁰ एआरटीओ लेह में अनियमितताएं नहीं पाई गईं

¹¹ 10,47,597 मामलों में से

2.3.10 परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र

सीएमवी नियमावली 1989 के नियम 62 के साथ पठित एमवी अधिनियम, 1988 के अनुसार, एक परिवहन वाहन को तब तक वैध पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक उसे फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता, जो शुरुआत में दो वर्षों के लिए वैध होगा तथा इसके पश्चात निर्धारित¹² शुल्क का भुगतान करने पर प्रत्येक वर्ष उसका नवीकरण किया जाएगा।

परिवहन वाहन के संबंध में चयनित 11 आरटीओ/ एआरटीओ में “वीएचएएन 4.0” के डाटा विश्लेषण से पता चला कि मार्च 2018 तक 1,04,635 वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र बकाया थे। 67,538 वाहन (65 प्रतिशत) के फिटनेस प्रमाणपत्र नवीकृत किए जा चुके थे तथा शेष 37,097 (35 प्रतिशत) पंजीकृत वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीकरण नहीं किया गया था। वसूल न किया गया राजस्व ₹122.19 करोड़ था। यह जोखिम है कि ये वाहन सड़कों के लिए उपयुक्त न हो, जिससे प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ाने के अलावा यात्रियों/ आने-जाने वालों के जीवन को खतरा हो सकता है।

इसके अलावा, वीएचएएन रिपोर्ट्स के विश्लेषण से ये पता चला कि 16,789 वाहन मालिकों (37,097 में से), जिन्होंने मार्च 2018 तक चयनित आरटीओ/ एआरटीओ से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था, ने उसी अवधि में एमवीटी का भुगतान कर दिया था, जिसने यह दर्शाया कि विभाग ने एमवीटी की स्वीकृति से पूर्व वाहनों की फिटनेस पर ध्यान देना सुनिश्चित नहीं किया था।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ तथा परिवहन आयुक्त ने बताया कि चूककर्त्ताओं को अधिनियम/ नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस दिया जाएगा तथा राशि वसूल की जाएगी। यह भी बताया गया कि वाहन मालिकों द्वारा एमवीटी इत्यादि जमा करने के दौरान वाहनों की फिटनेस के लिए एक जांच भी की जाएगी। **मार्च 2008 तथा मार्च 2013 को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में इस विषय में बताए जाने के बावजूद भी, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।**

¹² फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण हेतु शुल्क प्रति वाहन ₹200 की दर पर; वाहन का परीक्षण करने हेतु फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण के लिए; तीन पहिया/ एलएमवी/ चौपहिया: ₹400 (मैनुअल); मध्यम या एचएमवी: ₹600 (मैनुअल); फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹25 का अतिरिक्त शुल्क (15 जनवरी 2018 से प्रभावी, ₹50 उससे पहले)

अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए उत्तरदायी राज्य यातायात पुलिस जैसे विभागों और अन्य अधिकारियों³ के बीच तालमेल बैठाने हेतु एक व्यवहार्य मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि जो वाहन अनुपयुक्त हैं या जिन मामलों में करों का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा, एक स्वचालित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिसके तहत इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वाहन मालिक के मोबाइल फोन पर सूचना/ नोटिस जारी की जा सके।

2.3.11 विभिन्न प्रकार के रूट परमिटों का अनुमोदन/ नवीकरण

एमवी अधिनियम 1988, परमिट देने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, एक अस्थाई परमिट¹⁴ के अतिरिक्त एक अन्य परमिट पाँच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा तथा इसकी समाप्ति से 15 दिन पहले इसके नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जेकेएमवी नियमावली, 1991 के नियम 79 तथा 80 में (परिशिष्ट-2.3.1 में दी गई दरें) अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क, नवीकरण शुल्क की दरों के साथ परमिट के नवीकरण के लिए विलम्बित आवेदन हेतु अतिरिक्त शुल्क का वर्णन करते हैं।

परिवहन आयुक्त, राष्ट्रीय अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके रूट परमिट जारी करने/ उनके नवीकरण के मामलों को देखते हैं। जिले में रूट परमिटों को संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ द्वारा जारी/ नवीकरण किया जाता है। यद्यपि, राज्य के 20 (22 में से) जिलों में जारी जिला रूट परमिटों को जारी करने/ नवीकरण करने का विवरण वीएचएएन पर उपलब्ध है, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी राष्ट्रीय/ अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके रूट परमिटों के संबंध में विवरण मार्च 2018 तक वीएचएएन पर उपलब्ध नहीं थे।

2.3.11.1 माल वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके रूट परमिटों का गैर-नवीकरण

अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2018) ने दर्शाया कि परिवहन आयुक्त द्वारा (मार्च 2018 तक) माल वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके के 1,795 रूट परमिटों में से, 974 परमिटों का एक से 7,403 दिनों के बीच की अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया गया। इन परमिटों के नवीकरण न होने के

¹³ जिला न्यायाधीश, डिवीजनल आयुक्त, उप आयुक्त आदि

¹⁴ अस्थाई परमिट सीमित अवधि के लिए जारी परमिट है, जो किसी भी स्थिति में चार महीने से अधिक नहीं होगा। विशेष आयोजनों पर जैसे मेले, धार्मिक सभाओं तथा मौसमी कारोबार के अनुसार अस्थाई परमिट जारी किए जाते हैं

परिणामस्वरूप ₹25.23 लाख¹⁵ के नवीकरण शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क¹⁶ की वसूली नहीं हुई तथा ये भी जोखिम है कि ये वाहन वैध परमिट के बिना चल रहे हों।

मार्च 2018 माह के लिए, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की लखनपुर टोल पोस्ट के आयात रिकॉर्ड की नमूना जांच से पता चला कि ऐसे 33¹⁷ वाहनों ने अपने परमिटों के नवीकरण के बिना ही राज्य की सीमाओं को पार कर लिया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये वाहन चल रहे हैं। **विभाग ने राज्य की सीमाओं को पार करने/ अखिल जेएंडके रूटों पर वैध परमिट के बिना चलने वाले ऐसे वाहनों की जांच करने के लिए कोई नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया है।**

परिवहन आयुक्त ने बताया (अक्टूबर 2018) कि ऐसे सभी परमिट धारकों को नवीकरण करवाने का नोटिस दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उन नियमों को भंग करने/ चूककर्त्ताओं के प्रति विशेष अभियान चलाने के लिए जांच दलों का गठन किया है, जिनके मामले में रूट परमिटों का नवीकरण नहीं हुआ है।

2.3.11.2 जिला रूट परमिटों का नवीकरण न होना

वीएचएएन से सृजित 10¹⁸ चयनित आरटीओ/ एआरटीओ (24 जनवरी 2018 तक) के संबंध में परमिट रिपोर्टों तथा एआरटीओ, लेह द्वारा बनाए गए मैन्यूअल रिकॉर्डों की जांच ने यह दर्शाया कि 6,619 वाहनों¹⁹ (2,15,499 में से) के जिला रूट परमिटों का एक से 6,508 दिनों के बीच की अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया गया। वसूल न किया गया राजस्व ₹2.60 करोड़ (परमिट शुल्क तथा जुर्माना) था।

इसके अलावा, वीएचएएन रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चला कि 5,843²⁰ वाहनों (लेह के 776 वाहनों को छोड़कर) जिनके परमिट नवीकृत नहीं किए गए थे, में से उसी अवधि में 6,347 मामलों में ऐसे 3,175 वाहन मालिकों ने एमवीटी का एक बार या कई बार भुगतान किया था। ये यह दर्शाता है कि ये वाहन रोड पर वैध परमिट के बिना चल रहे थे। हालांकि, प्रारूप बदलने के कारण जनवरी 2018 के बाद से वाहन, परमिट तथा उसकी वैधता की संपूर्ण जानकारी वाली ऐसी कोई रिपोर्ट वाहन से तैयार नहीं हो सकी, क्योंकि नया प्रारूप केवल वीएचएएन का सारांश तैयार करता है।

¹⁵ आवेदन शुल्क @ ₹30; नवीकरण शुल्क (₹300 भारी और मध्यम परिवहन के लिए तथा ₹125 हल्के वाहनों के लिए); पहले 45 दिनों की देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क @ ₹20 तथा 45 दिनों के बाद प्रति दिन देरी के लिए @ ₹30, बशर्ते अधिकतम शुल्क, नए परमिट जारी करने के लिए वर्णन के अनुसार हो (बड़ी बसें ₹10,000; मध्यम बसें: ₹7,000; छोटी बसें ₹5,000; टैक्सी कैब्स: ₹750)

¹⁶ नवीकरण शुल्क: ₹5.93 लाख; विलंब शुल्क: ₹19.30 लाख

¹⁷ कश्मीर: 01; जम्मू: 32

¹⁸ लेह को छोड़कर जिसे 31.03.2018 तक वीएचएएन पर कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया था

¹⁹ स्टेज कैरेज: 718; गुड्स कैरियर: 3,292; कांट्रेक्ट कैरियर: 2,609

²⁰ लेह जिले के 776 वाहनों को शामिल नहीं करता है, जिसका डाटा वीएचएएन पर उपलब्ध नहीं है

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ ने बताया कि परमिट के नवीकरण के लिए अनुषंगी संगठनों²¹ की सहायता से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी तथा राशि वसूल की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि आरटीओ/ एआरटीओ को संबंधित चूककर्त्ताओं को प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने वाहन का जुर्माने सहित परमिट नवीकरण कराने का नोटिस देने के लिए निर्देश दिया जाएगा। **मार्च 2013 को समाप्त पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताए जाने के बावजूद, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।**

2.3.11.3 राष्ट्रीय परमिटों की मान्यता का गैर-नवीकरण

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे देश में माल वाहनों के निरंतर आवागमन के लिए एक कार्य ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को अंतिम रूप²² दिया (मई 2010)।

तदनुसार, जम्मू और कश्मीर सरकार ने एसआरओ 387, दिनांक 25 अक्टूबर 2010 के द्वारा, जेएंडके मोटर वाहन नियमावली 1991 में धारा 80 (एच) का समावेश किया जो यह अनुबंधित करती है कि (क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में चलाने के प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्य/ यूटी द्वारा दिए गए राष्ट्रीय परमिट वाले माल वाहनों के सदर्थ में समेकित शुल्क ₹15,000 प्रति वर्ष होगा (ख) उपर्युक्त अनुसार समेकित शुल्क वार्षिक आधार पर संगृहीत किया जाएगा। उक्त अवधि के भीतर शुल्क जमा करने में विफलता के मामले में, प्रति माह ₹100 या उसके भाग की एक अतिरिक्त राशि शुल्क के अलावा जुर्माने के रूप में वसूली योग्य होगी तथा (ग) वो माल वाहन जिनको राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू और कश्मीर) द्वारा, जम्मू एवं कश्मीर के अलावा किसी अन्य राज्य और यू.टी. में चलने के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान किया गया हो, के संबंध में समेकित शुल्क, को राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू एवं कश्मीर) द्वारा ₹15,000 की दर पर प्रति वर्ष एकत्र किया जाएगा तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रति प्राधिकृत शुल्क के रूप में ₹1,000 भी जमा किया जाएगा। संशोधित नियम²³ ₹16,500 प्रति वर्ष प्रत्येक वाहन (संशोधन 01 अप्रैल 2012 से प्रभावी) के राष्ट्रीय परमिट शुल्क के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करता है।

²¹ सहायक उप निरीक्षक के रैंक से ऊपर के सभी यातायात पुलिस अधिकारी, सभी जिला न्यायाधीश तथा डिवीजनल आयुक्त, सभी आरटीओ/ एआरटीओ के पास अपराधों को कम्पाउंड करने का अधिकार है

²² सरकार के आदेश सं. आरटी-16031/3/2009-टी दिनांक 7 मई 2010 भारत सरकार द्वारा जारी, एमओआरटीएच

²³ सरकार के आदेश सं. आरटी-16031/6/2010-टी दिनांक 2 अप्रैल 2012

मार्च 2018 को राष्ट्रीय परमिट का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-2.3.3: जम्मू व कश्मीर में जारी किए गए राष्ट्रीय परमिटों की स्थिति

प्रान्त	जम्मू एवं कश्मीर में जारी कुल राष्ट्रीय परमिट	रद्द परमिट	शेष सक्रिय परमिट	लंबित प्राधिकरण
जम्मू	6,397	548	5,849	3,025
कश्मीर	5,708	350	5,358	1,724
कुल	12,105	898	11,207	4,749

अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2018) से पता चला कि 11,207 (5,849 जम्मू और 5,358 श्रीनगर) राष्ट्रीय परमिटों के प्रति 4,749 माल वाहनों के मालिकों ने न तो मान्यताओं को नवीकृत किया और न ही रद्द करने के लिए राष्ट्रीय परमिट को अध्यर्पित किया। विभाग ने चूककर्त्ता को नोटिस भी जारी नहीं किया। इन 4,749 वाहनों में शामिल प्राधिकरण शुल्क की राशि ₹8.31 करोड़ (4,749 x 16,500 + 1,000) थी।

परिवहन आयुक्त ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि चूककर्त्ताओं को उनके परमिट नवीकृत करने और राजस्व की वसूली करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।

विभाग उस एमवीटी या किसी अन्य कर के साथ परमिट के नवीकरण को जोड़ने पर विचार कर सकता है जिसका सबसे अधिक पालन किया गया है।

2.3.12 गुड्स एजेंट कारोबार लाइसेन्सों का नवीकरण न होना

जेकेएमवी नियमावली, 1991 यह परिकल्पित करती है कि वाहनों द्वारा माल के संग्रहण, अग्रेषण और वितरण भाड़े पर चलने के कारोबार में लगे एक एजेंट का लाइसेन्स, उसकी स्वीकृति प्रदान करने या नवीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। लाइसेन्स धारक को नया लाइसेन्स प्राप्त करने के समय ₹50,000 की प्रतिभूति जमा करनी अपेक्षित है। एक एजेंट का लाइसेन्स उसकी समाप्ति की तारीख से तीस दिन पूर्व, लाइसेन्स प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर नवीकृत किया जा सकता है और यह नियम 137 में निर्दिष्ट शुल्क के अलावा मूल और सभी पूरक लाइसेन्सों, यदि कोई है, के साथ होगा।

परिवहन आयुक्त के रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला (अप्रैल 2018) कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी कुल 268 एजेंट लाइसेन्सों में से 155 एजेंट लाइसेन्सों को 22 वर्षों तक की अवधि के लिए नवीकृत नहीं किया गया था तथा इसके फलस्वरूप

इन एजेन्टों के संबंध में देय ₹57.47 लाख²⁴ के नवीकरण शुल्क तथा विलंब शुल्क²⁵ की वसूली नहीं की जा सकी (मार्च 2018)।

परिवहन आयुक्त ने बताया (अगस्त/ अक्टूबर 2018) कि सभी लाइसेन्स धारकों को 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से नवीकरण कराने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। ये भी कहा गया कि चूककर्त्ताओं के लाइसेन्स को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा उनके प्रतिभूति जमा से तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। इस संबंध में वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2019) थी। **मार्च 2008** तथा **मार्च 2013** को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में इस बात को इंगित किए जाने के बावजूद, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग, एक ऑटो प्रणाली विकसित कर सकता है जहां पर गुड्स एजेंट्स को उनके लाइसेन्स के आवधिक नवीकरण के लिए सूचनाएं/ नोटिस उनके मोबाइल फोन/ ई-मेल पते पर जारी की जाएं तथा अधिनियम/ नियमों के वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2.3.13 मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्स का नवीकरण न करना

जेकेएमवी नियमावली 1991 परिकल्पित करती है कि मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्स धारित व्यक्तियों/ फर्मों को एक वर्ष के बाद, ₹5000 प्रति वर्ष²⁶ की दर से शुल्क का भुगतान करने के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत कर लाइसेन्सों का नवीकरण करवाना होगा। लाइसेन्स धारक को अपने लाइसेन्स की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अपने लाइसेन्स के नवीकरण के लिए पंजीकृत प्राधिकरण को आवेदन करना होगा जिसमें विफल होने पर लाइसेन्स धारक पर देरी से नवीकरण करने के लिए ₹200 प्रति दिन अधिभार लगाया जाना था। इसके अलावा, बिना किसी वैध परिवहन सेवा लाइसेन्स के परिवहन कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों या फर्म/ फर्मों पर ₹30,000²⁷ तक जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन आयुक्त (अप्रैल 2018) के रिकॉर्ड की संवीक्षा ने दर्शाया कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी 180 मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्सों में से 109 लाइसेन्स धारकों ने 1 से 20 वर्षों के बीच की देरी के बाद अपने लाइसेन्स का नवीकरण नहीं कराया

²⁴ ₹3,750 की दर से लाइसेन्स शुल्क/ नवीकरण शुल्क; लाइसेन्स नवीकरण के लिए ₹500 की दर से विलंब शुल्क यदि आवेदन 90 दिनों या उसके बाद किया गया है

²⁵ नवीकरण शुल्क: ₹37.84 लाख; विलंब शुल्क: ₹19.63 लाख

²⁶ एसआरओ 250 दिनांक 11 अगस्त 2011 के अनुसार संशोधित दरें

²⁷ एसआरओ 190 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार

है, जिसके परिणामस्वरूप ₹73.86 लाख²⁸ के राजस्व की वसूली नहीं हुई। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया कि लाइसेन्स धारकों द्वारा इन मोटर परिवहन सेवा प्रदाताओं के लाइसेन्सों का नवीकरण किया गया था या नहीं।

परिवहन आयुक्त ने बताया (अगस्त/ अक्टूबर 2018) कि ऐसे सभी लाइसेन्स धारकों को 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से नवीकरण कराने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। मार्च 2008 तथा मार्च 2013 को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में इस बात को बताए जाने के बावजूद भी, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

2.3.14 प्रदूषण नियंत्रण जांच लाइसेन्स का गैर-नवीकरण

वाहनों में उत्सर्जन की जांच करने के लिए, सीएमवी नियमावली, 1989 के तहत प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए गए थे।

सरकार की अधिसूचना (दिसंबर 2005) के अनुसार, प्रदूषण जांच केंद्रों को नए प्रदूषण नियंत्रण लाइसेन्स जारी करने के लिए, प्रदूषण जांच केंद्र के पंजीकरण के समय ₹7,000 की निर्धारित शुल्क वसूल किया जाना था और ₹3,000 का नवीकरण शुल्क भी वार्षिक आधार पर वसूल किया जाना था।

परिवहन आयुक्त (अप्रैल 2018) के रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि 103 प्रदूषण नियंत्रण लाइसेन्सों में से, 26 प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेन्सों को एक से छह साल तक की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया गया है (मार्च 2018), जिसके परिणामस्वरूप ₹1.80 लाख की सीमा तक की राजस्व वसूली नहीं हुई है। इस बात का जोखिम है कि ये केंद्र, अवधि के दौरान बिना वैध लाइसेन्सों के अनाधिकृत रूप से अपना कारोबार कर रहे होंगे।

परिवहन आयुक्त ने (अगस्त/ अक्टूबर 2018) कहा कि लाइसेन्स के नवीकरण के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। मार्च 2008 को समाप्त पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही इंगित किए जाने के बाद भी, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

2.3.15 ड्राइविंग संस्थानों से गैर/ अल्प लाइसेन्स नवीकरण शुल्क की वसूली

सीएमवी नियमावली 1989 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लाइसेन्सिंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए लाइसेन्स के बिना ड्राइविंग स्कूल खोलने या चलाने या मोटर वाहनों को चलाने या सौंपने के लिए कोई निर्देश नहीं देगा। प्रदान किया गया लाइसेन्स पांच

²⁸ नवीकरण शुल्क ₹41.16 लाख; विलंब शुल्क: ₹32.70 लाख

साल की अवधि के लिए लागू होगा और इसे निर्धारित²⁹ शुल्क के भुगतान पर इसकी समाप्ति की तारीख से पहले साठ दिनों के भीतर नवीकरण किया जाना चाहिए।

रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला है कि दो आरटीओ द्वारा जारी किए गए 169 ड्राइविंग संस्थान लाइसेन्सों में से, 70 लाइसेन्स धारकों ने मार्च 2018 तक अपने लाइसेन्सों का नवीकरण नहीं करवाया था। संबंधित आरटीओ के पास निरीक्षण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे पता चले कि ये संस्थान निष्क्रिय थे। इस प्रकार, इन लाइसेन्सों के गैर-नवीकरण के परिणामस्वरूप लाइसेन्स नवीकरण शुल्क ₹10.67 लाख³⁰ की वसूली नहीं की गई है। **इस बात का जोखिम है कि ये संस्थान, वैध लाइसेन्स न होने की अवधि के दौरान अपना कारोबार अवैध रूप से कर रहे होंगे।**

आरटीओ जम्मू में रिकॉर्ड की संवीक्षा से यह भी पता चला कि ड्राइविंग स्कूलों के लाइसेन्स के 18 मामलों में, या तो बिना कोई शुल्क के या कई अवसरों पर एक ही डिमांड ड्राफ्ट/ जीआर का उपयोग करके लाइसेन्सों का नवीकरण किया गया था और परिणामस्वरूप ₹0.77 लाख का कम नवीकरण शुल्क प्राप्त हुआ है।

आरटीओ श्रीनगर (अप्रैल 2018) ने कहा कि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क की वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे। परिवहन आयुक्त (अक्टूबर 2018) ने कहा कि संबंधित चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि वे अपने संस्थानों के लाइसेन्सों को नवीकृत करवायें और तदनुसार राजस्व की वसूली प्रभावी होगी। **हालांकि, तथ्य यह है कि मार्च 2008 की समाप्ति पर पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बाद भी, इस संबंध में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।**

विभाग एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकता है जिसके तहत किसी भी सेवा को प्रदान करने से पहले लागू शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभाग को केंद्रीयकृत तंत्र या ऑटो प्रणाली को तैयार करने की भी आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत लाइसेन्स धारक को समय-समय पर नवीकरण के लिए सूचना/ नोटिस जारी किए जाते हैं।

2.3.16 व्यापार प्रमाणपत्रों का गैर-नवीकरण

सीएमवी नियमों, 1989 के अनुसार, मोटर वाहन रखने वाले डीलर को पंजीकरण प्राधिकारी से एक व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। व्यापार प्रमाणपत्र

²⁹ सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं.जीएसआर 1183 (ई) दिनांक 29 दिसंबर 2016 के अनुसार संशोधित 28 दिसंबर 2016 तक ₹2,500 तथा 29 दिसंबर 2016 से ₹10,000 की वृद्धि हुई

³⁰ आरटीओ जम्मू: ₹6.75 लाख; आरटीओ श्रीनगर: ₹3.92 लाख

उचित शुल्क³¹ के भुगतान के बाद जारी किया जाता है तथा जारी होने या नवीकरण की तारीख से बारह महीने की अवधि तक लागू रहता है।

चार पंजीकरण प्राधिकरणों³² में व्यापार प्रमाणपत्र जारी करने/ नवीकरण से संबंधित मैन्युअल रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला कि जारी किए गए 587 व्यापार प्रमाण पत्रों में से 131 डीलरों ने 31 मार्च 2018 को एक से 13 साल के बीच अपने डीलरशिप के संबंध में प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं किया है और विभाग ₹12.47 लाख का शुल्क वसूल नहीं कर सका।

पंजीकरण प्राधिकरणों और परिवहन आयुक्त ने कहा (अक्टूबर 2018) कि डीलरों को व्यापार प्रमाणपत्र नवीकरण के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। यह भी कहा गया कि अधिनियम/ नियमों के उल्लंघन और अपंजीकृत/ अज्ञात डीलरों की पहचान का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि मार्च 2008 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

2.3.17 हाइपोथिकेशन शुल्क का आधिक्य/ अल्प प्रभार वसूली

15 जनवरी, 2018 की सरकार की अधिसूचना के अनुसार भाड़े की खरीद/ पट्टे/ हाइपोथिकेशन करार की पुष्टि के लिए शुल्क की दरों को संशोधित³³ किया गया था।

चयनित आरटीओ/ एआरटीओ में 15 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए रिकॉर्डों की जांच से पता चला है कि इन अधिकारियों ने पूर्व संशोधित दरों पर हाइपोथिकेशन शुल्क वसूलना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 10,239 हाइपोथिकेशन करारों पर ₹1.24 करोड़ का अधिक प्रभारित शुल्क और 2,479 हाइपोथिकेशन करारों³⁴ पर ₹0.02 करोड़ का कम प्रभारित शुल्क वसूला गया।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ और परिवहन आयुक्त ने एनआईसी द्वारा वीएचएएन सॉफ्टवेयर में संशोधित दरों को शामिल न करने के लिए हाइपोथिकेशन शुल्क के उद्ग्रहण के आधिक्य को जिम्मेदार ठहराया। परिवहन आयुक्त (अक्टूबर 2018) ने यह भी कहा कि विभाग हाइपोथिकेशन शुल्क के बारे में वीएचएएन सॉफ्टवेयर को

³¹ 28.12.2016 तक मोटरसाइकिल/ अवैध कैरिज: ₹50, अन्य: ₹200, उसके बाद (29.12.2016 से मोटरसाइकिल/ अवैध कैरिज: ₹500, अन्य: ₹1,000)

³² आरटीओ जम्मू: ₹8.65 लाख; आरटीओ कठुआ: ₹2.29 लाख; आरटीओ श्रीनगर: ₹1.19 लाख; एआरटीओ लेह: ₹0.34 लाख

³³ तिपहिया/ चौपहिया/ एलएमवी; के संबंध में, ₹1500 से ₹300 मध्यम या भारी वाहन के संबंध में, ₹3,000 से ₹500 तथा रद्द करने के संबंध में ₹100 से ₹200

³⁴ 10,036 अतिरिक्त हाइपोथिकेशन वाहनों के संबंध में अधिक अधिभार: ₹1,20,58,400 तथा 203 वाहनों का सतत हाइपोथिकेशन: ₹3,32,000 (कुल 10,239 वाहन: ₹1,23,90,400); 2,479 वाहनों के संबंध में हाइपोथिकेशन शुल्क रद्द करने हेतु कम अधिभार लगाना: ₹2,47,900

अपडेट करने के लिए एनआईसी से चर्चा की जाएगी। हालाँकि, तथ्य यह है कि जनता से आधिक्य/ कम शुल्क लिया गया था और उसे वापस करने तथा प्रभारित कम राशि वसूल करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.3.18 कंडक्टर के लाइसेन्स जारी न करना/ नवीकरण न करना

एमवी अधिनियम, 1988 प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति एक स्टेज कैरिज के कंडक्टर के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह एक कंडक्टर लाइसेन्स नहीं रखता है जो तीन साल तक वैध रहता है। कंडक्टर लाइसेन्स और प्रत्येक नवीकरण के लिए शुल्क, ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए शुल्क का आधा होगा।

चयनित आरटीओ/ एआरटीओ के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला है कि जारी 729 कंडक्टर लाइसेन्स के विरुद्ध 15,187 स्टेज कैरिज कार्यरत थे, जो दर्शाते थे कि 14,458 स्टेज कैरिज बिना कंडक्टरों के चल रहे थे या जिनके पास कंडक्टर लाइसेन्स नहीं थे, इस प्रकार, यात्रियों/ संपत्ति की सुरक्षा खतरे में थी तथा परिणामस्वरूप कंडक्टर लाइसेन्स शुल्क के कारण ₹56.75 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ और परिवहन आयुक्त ने कहा कि एक्ट/ नियमों के उल्लंघन और राजस्व की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं पर संयुक्त रूप से सहायक संगठनों की मदद से कार्रवाई की जाएगी।

विभाग को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि कहीं कुछ कंडक्टर वैध लाइसेन्स के बिना तो काम नहीं कर रहे हैं।

2.3.19 प्रवर्तन

जेएंडके मोटर वाहन नियम, 1991 के नियम 306 के अनुसार, सहायक उप-निरीक्षक की रैंक से ऊपर के सभी यातायात पुलिस अधिकारी, सभी मोटर वाहन निरीक्षक, सभी जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस के अन्य पर्यवेक्षी अधिकारी, सभी जिला मजिस्ट्रेट/ मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट और डिवीजनल कमिश्नर, सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और उपायुक्त के पास मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 में उल्लिखित विभिन्न यातायात अपराधों पर कार्य करने की शक्तियाँ होंगी। इसके अतिरिक्त, जेएंडके मोटर व्हीकल नियमावली 1991 के नियम 308 के अनुसार, एक अधिकारी जो मोटर वाहन निरीक्षक या सहायक यातायात निरीक्षक के पद से नीचे की रैंक का नहीं है, जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए, किसी भी मटेरियल को हटाने के उद्देश्यों के लिए आदेश दे सकता है, जो मोटर वाहन विभाग के चेकिंग स्टाफ तथा/ या यातायात विभाग के कार्य को बाधित करता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 में 'विशेष अपराधों का संघटन' दिया गया है - (1) धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182,

उपधारा (1) या धारा 183 की उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा 189, 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196, या धारा 198, के तहत इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी अपराध सजा योग्य होगा। ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार एक सीमा तक इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। (2) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई अपराध किया गया है, अगर हिरासत में है, तो अपराधी को छोड़ दिया जाएगा और इस तरह के अपराध के संबंध में उसके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ पाई हैं:

(i) **वाहन वार अपराधों का समेकन न होना:** मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 180 से 192-ए के तहत दूसरी बार या उसके बाद, अधिक स्पीड पर ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, शराब/ ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग, मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर ड्राइविंग करना, तथा दुर्घटना से संबंधित अपराधों, वाहन को असुरक्षित स्थितियों में/ बिना परमिट के उपयोग करने के लिए सजा के साथ या सजा के बिना बड़े हुए जुर्माने का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि "वीएचएएन 4.0" का न तो प्रवर्तन मॉड्यूल चालू था तथा न ही अपराधों का वाहन-वार विवरण के संबंध में और किसी विशेष अपराध को बार-बार किए जाने का डाटा अनुरक्षित किया गया था। इस तरह के डाटा के रखरखाव से बड़े हुए संयुक्त शुल्क के उद्ग्रहण के लिए बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस तरह के तंत्र की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में बार-बार होने वाले अपराधों पर बड़े हुए संयुक्त शुल्क के प्रावधान को लागू करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ii) **ओवरलोड वाहन:** आरटीओ कठुआ (अगस्त 2018) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अप्रैल 2013 और मार्च 2018 की अवधि के दौरान 2,828 ओवरलोड वाहन लखनपुर टोल पोस्ट पर एमवी अधिनियम की धारा 194 के तहत निर्धारित शुल्क दिए बिना, मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) के नोटिस से बच गए। अपराध को रोकने में विफलता के परिणामस्वरूप न्यूनतम जुर्माने ₹56.56 लाख (₹2,000 की दर के आधार पर) के राजस्व की हानि हुई।

(iii) **जुर्माने की वसूली से संबंधित अभिलेख का रखरखाव न करना:** एआरटीओ सांबा की कंपाउंड बुक की तुलना में चालान बुक की जांच से पता चला है कि हालांकि कार्यालय द्वारा वाहनों के दस्तावेजों को रखा गया था और वाहनों को संबंधित पुलिस स्टेशन की अभिरक्षा में जब्त/ रखा गया था, लेकिन परिवहन आयुक्त/ एआरटीओ के न्यायालय/ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए चालान में किसी निर्धारित तारीख का

उल्लेख नहीं किया गया था। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि विभाग द्वारा चालान बुक और अपराधियों द्वारा जमा कराए गए जुर्माने से संबंधित किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया था।

2.3.20 आंतरिक नियंत्रण

किसी विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि इसकी गतिविधियों को निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार और किफायती, दक्षपूर्ण और प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सके। विभाग में नियंत्रण तंत्र का मार्गदर्शन अधिनियमों, नियमों, अनुदेशों आदि द्वारा किया जाता है ताकि सरकार के संसाधनों की सुरक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा राजस्व व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन नियमों का पालन करने में चूक हुई है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.3.20.1 सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों का विलंबित प्रेषण/ हस्तांतरण

जम्मू और कश्मीर वित्तीय संहिता खंड-1 यह निर्धारित करता है कि एक दिन के दौरान एकत्रित विभागीय प्राप्तियों को उसी दिन कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सात (11 नमूना जांच में से) आरटीओ/ एआरटीओ³⁵, ने उसी दिन कोषागार में ₹45 से ₹9.78 लाख तक के रैंज की राजस्व प्राप्तियां प्रेषित नहीं की गई थीं। इसके अलावा, आरटीओ जम्मू में, ₹0.37 लाख से ₹7.79 लाख के बीच राजस्व प्राप्तियां 26 और 314 दिनों के बीच की अवधि के लिए राजकोष में प्रेषित नहीं की गई थीं।

शुल्क, जुर्माना और करों के रूप में एकत्रित राजस्व को पाँच कार्यालयों³⁶ द्वारा संबंधित जम्मू और कश्मीर बैंक शाखाओं की आठ चालू शाखाओं के खातों में सरकारी खाते/ राजकोष में बाद के प्रेषण के लिए जमा किया गया था। हालांकि, इन खातों में एकत्र किए गए राजस्व को उसी दिन सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया था और एक से 293 दिनों तक की अवधि के लिए ₹300 से ₹3.59 करोड़ की नकद शेष राशि को अनुचित रूप से रोका गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹28.05 लाख की न्यूनतम ब्याज³⁷ हानि हुई। विलंबित जमा के कुछ महत्वपूर्ण मामले **परिशिष्ट-2.3.2** में दर्शाये गए हैं।

सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों के समय पर हस्तांतरण/ प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे और बैंक के साथ खातों का

³⁵ आरटीओ श्रीनगर, एआरटीओ रजौरी, एआरटीओ बारामूला, एआरटीओ अनंतनाग, एआरटीओ बडगाम, एआरटीओ कुपवाडा, एआरटीओ लेह

³⁶ सिविल सचिवालय, परिवन आयुक्त, आरटीओ जम्मू, एआरटीओ रजौरी, एआरटीओ सांबा

³⁷ 11 सितंबर 2017 तक 4 प्रतिशत की दर पर तथा इसके बाद 3.5 प्रतिशत की दर पर बचत खाते पर जेके बैंक का प्रचलित ब्याज

समय-समय पर मिलान भी नहीं किया गया था। परिवहन आयुक्त ने कहा (अक्टूबर 2018) कि संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उन्हें भविष्य में देरी से प्रेषण से बचने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2.3.20.2 राजस्व का गलत प्रबंधन

विभाग में बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त राजस्व में निम्नलिखित कमियाँ दर्शायी गई हैं:

- परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट कई नकद वाले स्थानों/ काउंटरों पर प्राप्त किए गए थे और इन स्थानों से, मुख्य कैश बुक से गुजरे बिना सीधे बैंक में भेजे गए थे जिसके कारण सरकारी खाते में उनके समाशोधन और हस्तांतरण की निगरानी नहीं की जा सकती थी। परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।
- परिवहन आयुक्त कार्यालय, आरटीओ जम्मू, आरटीओ कठुआ, एआरटीओ उधमपुर, एआरटीओ सांबा में बैंक को संग्रहण के लिए भेजे गए बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से वसूल किए गए राजस्व/ प्राप्तियों की मासिक समायोजन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सरकारी खाते में वसूल की गई और जमा की गई राशि के संबंध में वास्तविक स्थिति इन कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी उनकी निगरानी नहीं की गई थी। परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि इस संबंध में नोटिस जारी किए जाएंगे।
- पांच³⁸ चयनित कार्यालयों में यह देखा गया कि बैंक में ₹21.42 लाख की राशि वाले 35 बैंक ड्राफ्ट जमा करने में एक से 371 दिनों के बीच देरी हुई थी और इन ड्राफ्टों को संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा, एक से 118 दिनों की देरी के बाद सरकारी खाते में जमा किया गया। महत्वपूर्ण देरी के कुछ मामलों का विवरण **परिशिष्ट-2.3.3** में दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि संबंधित कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

नकद/ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजस्व संग्रह की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

2.3.20.3 नकद रिकॉर्डों का अनुरक्षण न करना

सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों का समय पर संग्रहण, लेखांकन और प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए, जेएंडके वित्तीय संहिता विभिन्न रिकॉर्डों के अनुरक्षण का प्रावधान करती है जिसमें अन्य बातों के साथ कैश बुक, प्रेषण रजिस्टर, जीआर³⁹ बुक

³⁸ परिवहन आयुक्त, आरटीओ जम्मू, आरटीओ कठुआ, एआरटीओ उधमपुर, एआरटीओ सांबा

³⁹ सामान्य रसीद बुक

का स्टॉक रजिस्टर, सहायिकी कैश बुक (कार्यालय जहां कई काउंटर्स पर नकदी एकत्र की जाती है) आदि सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि (परिशिष्ट-2.3.4) में विस्तृत अनुसार चयनित कार्यालयों में इन रिकॉर्डों को निर्धारित तरीके से अनुरक्षित नहीं रखा गया था और सरकारी प्राप्तियों के लेखांकन न होने/ वसूली न होने और उनके सरकारी खाते में प्रेषण न होने/ विलंब से होने का जोखिम है। इन कार्यालयों में बैंक समायोजन भी नहीं किया जा रहा था।

परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया जाएगा कि वे कैश रिकॉर्ड को अब ठीक से अनुरक्षित करें और उनका समायोजन भी करें।

2.3.20.4 प्रशासनिक निरीक्षण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर एक अधीनस्थ कार्यालय का प्रशासनिक निरीक्षण आवश्यक है ताकि परिवहन संसाधनों और कार्यालय की कार्यप्रणाली की आवश्यक जांच और नियंत्रण किया जा सके, जो कि आयुक्त द्वारा 2013-18 के दौरान चयनित 11 आरटीओ/ एआरटीओ में से 9⁴⁰ के संबंध में नहीं किया गया था।

इसके अलावा, (कुल चयनित 22 में से 11) आरटीओ/ एआरटीओ के चार⁴¹ कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, निदेशक लेखापरीक्षा, वित्त विभाग द्वारा की गई थी तथा उनकी रिपोर्टें प्रतीक्षित थी। परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) जवाब दिया कि आवधिक प्रशासनिक निरीक्षण और कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि उनके कामकाज को सुव्यवस्थित किया जा सके।

विभाग के आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय संहिता में प्रदान किए गए सभी नियमों का अनुपालन किया जा सके।

2.3.21 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले कुछ समय के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनो में, मोटर वाहनों पर करों को शामिल करने वाली चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹62.05 करोड़ के एमवीटी, शुल्क, जुर्माने के कम संग्रहण से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जैसा कि *परिशिष्ट-2.3.5* में दर्शाया गया है। राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने अब तक इन पैराओं पर चर्चा नहीं की है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रति वसूली की स्थिति सरकार/ विभाग से प्रतीक्षित है। यद्यपि पंजीकरण, परमिट और लाइसेन्स का

⁴⁰ आरटीओ जम्मू तथा एआरटीओ बारामूला के अतिरिक्त

⁴¹ आरटीओ जम्मू, एआरटीओ राजौरी, एआरटीओ अंनतनाग, एआरटीओ बारामूला

नवीकरण न होने, बकाया करों/ राजस्व की गैर-वसूली और कम वसूली आदि जैसे मुद्दे को उपरोक्त प्रतिवेदनों में उठाया गया था, फिर भी ये कमियां अभी भी हैं।

2.3.22 निष्कर्ष

वैधता समाप्ति के बाद वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण न करने, वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी न करने, वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में परमिट का नवीकरण न करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लाइसेन्सों/ व्यापार प्रमाणपत्रों का नवीकरण न होने जैसी प्रणालियों की विफलताओं से न केवल निर्धारित शुल्क की वसूली नहीं हुई अपितु कुछ श्रेणियों के वाहनों को अनधिकृत चलने या कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा अनधिकृत व्यवसाय करने का जोखिम भी हुआ। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए जाने के बावजूद भी, कई क्षेत्रों में निरंतर कमियां थीं। बकाया कर वसूलने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। कर के गैर/ विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना/ दंड नहीं लगाया गया था। प्रणाली में संशोधित दरों का अद्यतन करने में देरी के कारण अस्थायी पंजीकरण शुल्क को कम और हाइपोथिकेशन शुल्क को अधिक प्रभारित किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि संहिता में प्रावधान मौजूद हैं, सरकारी खाते में बैंक ड्राफ्ट जमा करने में देरी हुई।

परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि उनके वैध कर्तव्यों को पूरा करने में आरटीओ और एआरटीओ की ओर से कम प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण प्रतिवेदन में कुछ कमियों को उजागर किया गया है। यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

बताए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। विभाग समान मामलों की व्यापक जांच करने के लिए कार्रवाई शुरू करे और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

ग. अनुपालन लेखापरीक्षा

वित्त विभाग

(राज्य कर विभाग)

2.4 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ने की तैयारी

2.4.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जम्मू कश्मीर राज्य में 8 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यिक आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति और पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों⁴² को छोड़कर) पर संघ (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजेएसटी) द्वारा अलग-अलग लेकिन एक साथ जीएसटी⁴³ की उगाही की जा रही है। इसके अलावा, वस्तुओं या सेवाओं (आयात सहित) की अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जा रहा है और संसद के पास आईजीएसटी के उद्ग्रहण का विशेष अधिकार है। जीएसटी के लागू होने से पहले, जम्मू एंड कश्मीर वैल्यू एडेड टैक्स (जेएंडके वीएटी) अधिनियम, 2005 के अनुसार, बाद के डीलरों द्वारा बिक्री की श्रृंखला में वस्तुओं की इंद्रा-स्टेट बिक्री पर मूल्य वर्धित कर (वीएटी) उद्ग्रहण था तथा सीएसटी अधिनियम, 1956 के अनुसार, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (सीएसटी) उद्ग्रहण था।

राज्य सरकार को जेएंडके वीएटी अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार दिया गया था, जबकि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटीसी) की सिफारिश पर जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को केंद्र और राज्य द्वारा विनियमित किया जा रहा था जिसे जीएसटी से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए केंद्र और सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व के साथ गठित किया गया था। राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर वस्तु और सेवा कर (जेएंडके जीएसटी) अधिनियम, 2017 और जम्मू और कश्मीर वस्तु तथा सेवा कर नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया (जुलाई 2017) जहां विभिन्न करों⁴⁴ को सम्मिलित किया गया था।

⁴² पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस

⁴³ केंद्रीय जीएसटी: सीजीएसटी और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी: एसटीजीएसटी/ यूटीजीएसटी

⁴⁴ मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1962 और मनोरंजन कर के तहत लगाया गया सेवाओं पर कर

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) भारत सरकार द्वारा आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह करदाताओं का पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए फ्रंट-एंड आईटी सेवाएं प्रदान करती है। बैक-एंड आईटी सेवाएं अर्थात् पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर प्रतिदाय, प्रसंस्करण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट आदि भी जीएसटीएन द्वारा मॉडल-II⁴⁵ राज्यों को प्रदान की जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर ने मॉडल-II का चयन किया है।

2.4.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

भारत के संविधान में 101वें संशोधन के बाद से अर्थात् 8 सितंबर 2016 से मार्च 2018 (6 जुलाई 2017 से जम्मू और कश्मीर में प्रभावी) तक की राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग की जीएसटी के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों का विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विश्लेषण किया गया था।

2.4.3 राजस्व की प्रवृत्ति

जम्मू और कश्मीर राज्य में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था तथा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक गैर-सम्मिलित/ सम्मिलित करों सहित जीएसटी के तहत कुल प्राप्तियां पूर्व वर्ष 2016-17 की उसी अवधि के दौरान पूर्व जीएसटी करों के अन्तर्गत ₹3,887.79 करोड़ के प्रति ₹4,296.79 करोड़ अर्थात् लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि थी। पूर्व-जीएसटी करों और जीएसटी के तहत वास्तविक प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका-2.4.1: पूर्व-जीएसटी कर और जीएसटी के तहत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	पूर्व जीएसटी करों ⁴⁶ के तहत प्राप्तियां	जीएसटी के तहत प्राप्तियां		कुल	प्राप्त मुआवजा	कुल प्राप्तियां	संरक्षित किए जाने वाला राजस्व
			जीएसटी	आईजीएसटी विनियोजन जीएसटी				
2013-14	3,990.00	3,746.00	0	0	3,746.00	0	3,746.00	शून्य
2014-15	3,740.00	3,744.93	0	0	3,744.93	0	3,744.93	शून्य
2015-16	5,123.54	4,396.82	0	0	4,396.82	0	4,396.92	शून्य
2016-17	5,137.56	5,029.20	0	0	5,029.20	0	5,029.20	शून्य

⁴⁵ मॉडल-I स्टेट्स: जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई केवल फ्रंट-एंड सेवाएं; मॉडल-II स्टेट्स: जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों सेवाएं

⁴⁶ वीएटी के तहत कर, सामान्य बिक्री कर, शराब और एटीएफ कर जैसे गैर-जीएसटी मदों सहित केंद्रीय बिक्री कर को शामिल करता है, लेकिन मोटर स्प्रीट पर करों को शामिल नहीं करता है

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	पूर्व जीएसटी करों ⁴⁶ के तहत प्राप्तियां	जीएसटी के तहत प्राप्तियां		कुल	प्राप्त मुआवजा	कुल प्राप्तियां	संरक्षित किए जाने वाला राजस्व
			जीएसटी	आईजीएसटी विनियोजन जीएसटी				
2017-18 (अप्रैल से जून 2017)	6,194.28 ⁴⁷	1,387.88	0	0	1,387.88	0	1,387.88	शून्य
2017-18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018)		1,502.34	1,000.75	1,610.51	4,113.60	1,137.00	5,250.60	4645.71 ⁴⁸

उपरोक्त तालिका पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्तियों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

2.4.4 कानूनी/ सांविधिक तैयारी

राज्य ने जम्मू और कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 को अधिसूचित (07 जुलाई 2017) किया। 1 अप्रैल 2018 से अंतर-राज्यीय लेन-देन पर और 1 जून 2018 से अंतर्राज्यिक लेन-देन पर ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। इसके अलावा, राज्य में जीएसटी को लागू करने की सुविधा के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गईं। राज्य सरकार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक जीएसटी के संबंध में 262 अधिसूचनाएं/ परिपत्र/ आदेश जारी किए थे।

2.4.5 विभाग द्वारा आईटी की तैयारी और क्षमता निर्माण के प्रयास

जीएसटीएन द्वारा करदाताओं को तीन फ्रंट एंड सेवाएं अर्थात् पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करना प्रदान की जानी थी। चूंकि जम्मू और कश्मीर ने जीएसटी को लागू करने के लिए मॉडल-II का विकल्प चुना था, अतः जीएसटी प्रशासन के लिए पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) प्रसंस्करण, प्रतिदाय प्रसंस्करण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट आदि जैसे बैक-एंड एप्लिकेशन जीएसटीएन द्वारा विकसित किए जा रहे थे। जीएसटीएन प्रणाली को उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत साख के आधार पर बनाए गए रोल्स और लॉग-इन आईडी के आधार पर विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

⁴⁷ आधार वर्ष के आंकड़ों (2015-16: ₹4,766.30 करोड़) के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए परिनियोजित राजस्व था: ₹4,766.30 करोड़ x (1+14/100)² = ₹6,194.28 करोड़

⁴⁸ जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक नौ महीने की अवधि के लिए जीएसटी के तहत परिनियोजित राजस्व आंकड़ा: ₹6,194.28 करोड़ x 3/4 = ₹4,645.71 करोड़

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, राज्य कर विभाग ने आईटी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू और श्रीनगर प्रत्येक में कंप्यूटर लैब स्थापित किए हैं। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य कर विभाग ने राज्य भर में 542 कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिसमें 23,660 हितधारकों ने भाग लिया। विभाग ने करदाताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जम्मू और श्रीनगर प्रत्येक में एक डेडिकेटेड हेल्प लाइन स्थापित (जनवरी 2019) की थी। विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि जीएसटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके पास पर्याप्त आईटी अवसरंचना थी।

2.4.6 जीएसटी को लागू करना

विभाग द्वारा जीएसटी को क्रियान्वित करने में पंजीकरण, प्रवासन, करदाताओं को आवंटन, रिटर्न दाखिल करना, कर का भुगतान, परिवर्ती ऋण, प्रतिदाय जैसे प्रमुख मुद्दे/ चुनौतियाँ का सामना किया गया था।

2.4.6.1 करदाताओं का पंजीकरण

राज्य में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने वाला प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार बीस लाख रुपये से अधिक है तो वह एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन (8 जुलाई 2017) से ठीक पहले पंजीकृत हुए हों या एक मौजूदा कानून के तहत लाइसेंस रखते हों, तो वह नियत दिन से प्रभावी एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा।

- जम्मू और कश्मीर जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 8 के अनुसार, सम्मिलित कर के किसी भी मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत तथा स्थाई खाता संख्या (पीएएन) रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने ई-मेल पते के साथ मोबाइल नंबर को सत्यापित करके सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से दर्ज कर सकता है। नामांकन होने पर, ऐसे व्यक्ति को अनंतिम आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह सामान्य पोर्टल पर आवेदन में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण का एक प्रमाणपत्र पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वाणिज्यिक कर विभाग में मौजूदा पंजीकृत डीलरों के अनंतिम पंजीकरण और अंतिम पंजीकरण की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-2.4.2: मौजूदा पंजीकृत डीलरों के नामांकन के संबंध में स्थिति

वैध पैन के साथ मौजूदा पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अनंतिम आईडी की कुल संख्या (कॉलम-1 के संदर्भ में प्रतिशत)	नामांकित प्राथमिक डीलरों की संख्या (कॉलम-1 के संदर्भ में प्रतिशत)	किया गया पूर्ण नामांकन (कॉलम-1 के संदर्भ में प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
72,256	72,049 (99.71 प्रतिशत)	50,163 (69.42 प्रतिशत)	47,051 (65.12 प्रतिशत)

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना)

हालांकि 99.71 प्रतिशत अनंतिम आईडी जीएसटीएन से प्राप्त हुए थे, तथापि मौजूदा डीलरों में से केवल 65 प्रतिशत ने नामांकन पूरा किया।

(I) केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

(क) वाणिज्यिक कर विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के मौजूदा पंजीकृत करदाता

जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार, ₹1.50 करोड़ तक का कुल कारोबार करने वाले मौजूदा पंजीकृत करदाता का 90 प्रतिशत तथा ₹1.50 करोड़ से अधिक का कुल कारोबार करने वाले मौजूदा पंजीकृत करदाता का 50 प्रतिशत राज्य को वितरित किया जाना था। जम्मू और कश्मीर के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच डीलरों का वितरण सितंबर 2018 में अर्थात् जीएसटी के क्रियान्वयन के 15 महीने बाद किया गया था। विलम्बित वितरण के कारणों को सूचित नहीं किया गया था।

₹1.50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले 6,423 करदाताओं में से, 3,211 करदाता केंद्र को और 3,212 (50 प्रतिशत) राज्य को वितरित किए गए थे। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर छूट देते हुए शेष सभी करदाताओं को राज्य को वितरित किया गया था।

(ख) नए करदाता

कुल कारोबार पर ध्यान दिए बिना सभी नए पंजीकरण राज्य के न्यायाधिकार क्षेत्र में थे। 28 फरवरी 2019 तक नए पंजीकरणों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-2.4.3: नए पंजीकरणों की स्थिति

28 फरवरी 2019 तक प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
62,691	11,375	50,535	607

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना)

28 फरवरी 2019 तक 607 आवेदन लंबित थे; अनुमोदित आवेदनों का प्रतिशत और निरस्त किए गए आवेदनों का प्रतिशत क्रमशः 82 और 18 था।

2.4.6.2 रिटर्न दाखिल करना

जेएंडके जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 59 से 61 के अनुसार, कंपोजिशन करदाताओं के अलावा अन्य करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-1⁴⁹, में माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण, तथा फॉर्म जीएसटीआर-2⁵⁰ में माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण और फॉर्म जीएसटीआर-3 में मासिक रिटर्न, (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित) दाखिल करना अपेक्षित था, जबकि कंपोजिशन करदाताओं को तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-4 में दाखिल करना अपेक्षित था।

नई कर व्यवस्था की शुरुआती अवधि में करदाताओं को हुई कठिनाईयों का समाधान करने के लिए रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन किया गया। जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को स्थगित कर दिया गया था और अगले माह की 20 तारीख तक कर का भुगतान करने के साथ सभी करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-3ख⁵¹ में एक साधारण मासिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा, ₹1.50 करोड़ से कम कारोबार वाले करदाताओं को तिमाही आधार पर जीएसटीआर-1 दाखिल करना था।

2.4.6.3 कर का भुगतान

मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3ख और तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-4 देय कर के भुगतान के बाद दाखिल किए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए, करदाताओं द्वारा देय कर को समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के लिए इन रिटर्न की निगरानी महत्वपूर्ण थी। विभाग द्वारा जुलाई 2017 से फरवरी 2019 की अवधि के लिए दी गई जानकारी के अनुसार, पंजीकृत करदाताओं और उन करदाताओं की स्थिति जिन्होंने जीएसटीआर 3ख में मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-4 में तिमाही रिटर्न दाखिल किए, उन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

⁴⁹ जीएसटीआर-1: (क) पंजीकृत व्यक्तियों को की गई सभी अंतर-राज्य और अंतर्राज्यिक आपूर्ति, तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹2.50 लाख से अधिक मूल्य के बीजक मूल्य की अंतर-राज्य आपूर्ति बीजक वार ब्यौरे (ख) अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई सभी अंतरराज्यिक आपूर्ति तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को ₹2.50 लाख तक के बीजक मूल्य की राज्य वार की गई आपूर्ति का समेकित विवरण और (ग) माह के दौरान जारी डेबिट और क्रेडिट नोट, यदि कोई हो

⁵⁰ जीएसटीआर-2: (क) पंजीकृत व्यक्तियों या अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अंतर-राज्य और अंतर्राज्यिक आपूर्तियों के बीजक वार ब्यौरे (ख) माल और निष्पादित सेवाओं का आयात और (ग) आपूर्तिकर्ता से प्राप्त डेबिट और क्रेडिट नोट, यदि कोई हो

⁵¹ जीएसटीआर-3: कंपोजिशन कर दाताओं के अलावा सभी करदाताओं द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल किया जाना आवश्यक है

तालिका-2.4.4: डीलरों द्वारा मासिक और तिमाही रिटर्न दाखिल करने से संबंधित विवरण

क्र.सं.	माह	मासिक रिटर्न				त्रमासिक रिटर्न			
		पंजीकृत कर दाताओं की संख्या	पंजीकृत कर दाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल किया		पंजीकृत कर दाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया	पात्र डीलरों की संख्या	पंजीकृत करदाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल किया		पंजीकृत कर दाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया
			संख्या	प्रतिशत			संख्या	प्रतिशत	
1.	जुलाई 2017	49,895	48,912	98	983	5,417	4,256	79	1,161
2.	अगस्त 2017	56,938	54,717	96	2,221				
3.	सितंबर 2017	61,619	58,389	95	3,230				
4.	अक्टूबर 2017	61,963	57,626	93	4,337	9,686	7,623	79	2,063
5.	नवंबर 2017	64,428	58,881	91	5,547				
6.	दिसंबर 2017	66,077	59,825	91	6,252				
7.	जनवरी 2018	68,043	61,052	90	6,991	10,958	7,014	64	3,944
8.	फरवरी 2018	70,292	62,265	89	8,027				
9.	मार्च 2018	71,994	63,461	88	8,533				
10.	अप्रैल 2018	72,923	64,255	88	8,668	9,387	8,184	87	1,203
11.	मई 2018	75,470	65,494	87	9,976				
12.	जून 2018	77,492	66,262	86	11,230				
13.	जुलाई 2018	78,995	67,040	85	11,955	9,375	7,835	84	1,540
14.	अगस्त 2018	80,214	67,634	84	12,580				
15.	सितंबर 2018	81,069	67,947	84	13,122				
16.	अक्टूबर 2018	82,347	68,221	83	14,126	9,391	7,319	79	2,072
17.	नवंबर 2018	83,494	66,796	80	16,698				
18.	दिसंबर 2018	84,692	66,254	78	18,438				
19.	जनवरी 2019	86,258	64,174	74	22,084	तिमाही रिटर्न मार्च 19 के बाद प्रस्तुत करना			
20.	फरवरी 2019	87,367	43,585	50	43,782				
	कुल	14,61,570	12,32,790	85	2,28,780	54,214	42,231	78	11,983

2,28,780 मामलों (15 प्रतिशत) में करदाताओं ने जुलाई 2017 से फरवरी 2019 की अवधि के लिए मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया था। रिटर्न दाखिल करने में माह वार कमी 2 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच रही।

इसी प्रकार, 11,983 (22 प्रतिशत) मामलों में कंपोजीशन करदाताओं ने जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर-4 में तिमाही रिटर्न दाखिल नहीं किया। तिमाही-वार रिटर्न दाखिल करने में कमी 13 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच थी।

चूककर्ताओं द्वारा कर की चोरी के जोखिम के साथ-साथ रिटर्न दाखिल न करना और चूककर्ताओं को भुगतान किए गए कर के संबंध में प्राप्तकर्ताओं द्वारा आईटीसी का दावा किया जाता है।

पंजीकृत डीलरों द्वारा रिटर्न दाखिल न करने/ दाखिल करने में घटती प्रवृत्ति के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है और विभाग डीलर द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल करने और करों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे।

2.4.6.4 परिवर्ती ऋण

जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम की धारा 140 के साथ पठित जम्मू और कश्मीर जीएसटी नियमावली के नियम 117 के अनुसार पंजीकृत करदाता जीएसटी व्यवस्था में पूर्व-जीएसटी व्यवस्था (वैट रिटर्न के अनुसार) के आईटीसी⁵² की अप्राप्त राशि का अग्रेषण और दावा करने के हकदार थे। पंजीकृत करदाताओं को निर्धारित फॉर्म टीआरएएन-1 में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एसजीएसटी अधिनियम के तहत 2,029 डीलरों ने ₹51.225 करोड़ में से केवल ₹420.461 करोड़⁵³ के परिवर्ती ऋण का दावा किया था। लेखापरीक्षा द्वारा राज्य के 8 कर कार्यालयों में 276 मामलों की यादृच्छिक जांच से पता चला कि राज्य के 5 कर कार्यालयों⁵⁴ के 14 डीलरों ने अपने वैट रिटर्न में अग्रेषित आईटीसी में अधिक दर्शाए गए ₹37.26 लाख के परिवर्ती ऋण का दावा किया था। एक मामले में, राज्य कर कार्यालय बारामूला के एक डीलर ने अपने वीएटी रिटर्न में दर्शाए गए/ अग्रेषित की तुलना में अपने वैट रिटर्न से आईटीसी के ₹0.84 लाख के कम परिवर्ती ऋण का दावा किया। इससे संकेत मिलता है कि प्राप्त किए गए परिवर्ती ऋण को पहले कर कानूनों के तहत दाखिल किए गए रिटर्न के साथ प्रति सत्यापित नहीं किया गया था।

यह इंगित करने पर, राज्य कर अधिकारी सर्कल “जे” जम्मू (फरवरी 2019) ने कहा कि इस प्रकार के सात मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के विभागों के न्यायाधिकार क्षेत्र से राज्य कर विभाग को स्थानांतरित किए गए और विलोमतः डीलरों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन हेतु प्रणाली के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

2.4.6.5 जीएसटी के तहत प्रतिदाय

जीएसटीएन के तहत प्रतिदाय मॉड्यूल परिचालित नहीं था, इसलिए आवेदकों को मैन्युअल प्रणाली के माध्यम से प्रतिदाय की अनुमति दी जा रही है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रतिदाय की स्थिति निम्नानुसार थी:

⁵² आईटीसी: इनपुट टैक्स क्रेडिट

⁵³ जिसमें ₹369.236 करोड़ का सीजीएसटी शामिल है

⁵⁴ बारामूला: एक मामला, ₹0.43 लाख; कुपवाड़ा: तीन मामले ₹0.98 लाख; जम्मू (जे) सर्कल: 7 मामले, ₹33.62 लाख; जम्मू (ई) सर्कल: दो मामले, ₹0.08 लाख; जम्मू (के) सर्कल: एक मामला, ₹2.05 लाख

तालिका-2.4.5: प्रतिदाय के मामलों की जानकारी

28.02.2019 तक प्रतिदाय के लिए प्राप्त आवेदन		निर्धारित अवधि में अनुमति प्राप्त प्रतिदाय के आवेदनों की संख्या		निर्धारित अवधि के बाद अनुमति प्राप्त आवेदनों की संख्या		अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	
करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)	करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)	करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)	करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)
1,154	52.92	344	7.96	0	0	67	0.33

1,154 आवेदनों में से, 344 मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिदाय की अनुमति दी गई थी। यद्यपि 67 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था, शेष 743 आवेदनों की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा, जीएसटीआर-2 की फाइलिंग के स्थगन के कारण, आईटीसी की, मिलान/ बेमेल रिपोर्ट, विभाग द्वारा आईटी प्रणाली से तैयार नहीं की जा सकी।

इसलिए, जीएसटीआर-3बी में गलत आईटीसी राशि दिखाने वाले अप्रयुक्त इनपुट टैक्स के मामले में प्रतिदाय के दावे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

2.4.7 विरासती मुद्दे

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, लेखापरीक्षा ने निर्धारण, बकायों की वसूली तथा अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विरासती मुद्दों का विश्लेषण किया और इस संबंध में हमारी टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

2.4.7.1 डीलरों का निर्धारण

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के तहत 28 फरवरी 2019 को, 2014-15 से 2016-17 की अवधि में निर्धारण के लिए लंबित शेष मामलों के ब्यौरे इस प्रकार थे:

तालिका-2.4.6: लंबित पूर्व जीएसटी निर्धारणों से संबंधी सूचना

विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
	वीएटी	सामान्य बिक्री कर	वीएटी	सामान्य बिक्री कर	वीएटी	सामान्य बिक्री कर
निर्धारण के लिए चयनित मामलों की संख्या	5,827	44,890	6,709	49,818	5,548	58,839
निर्धारणपूर्ण मामलों की संख्या	5,487	13,905	6,050	11,196	4,630	14,375
28.02.2019 तक बकाया मामले	340	30,985	659	38,622	918	44,464

वर्ष 2017-18 के लिए लंबित निर्धारणों के विवरण (7 जुलाई 2017 तक) प्रदान नहीं किए गये। विभाग ने पूर्ववर्ती कर व्यवस्था के तहत लंबित निर्धारणों की मंजूरी देने के लिए कोई योजना या समय सीमा निर्धारित नहीं की थी और इन पर जीएसटी के

साथ-साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप एक साथ कई कर व्यवस्थाओं में मानव संसाधनों का परिणियोजन किया गया, जो पूर्ववर्ती राज्य अधिनियमों के तहत लंबित निर्धारण के अंतिम रूप को प्रभावित करता है।

सरकार/ विभाग पूर्व-जीएसटी मामलों के शीघ्र निर्धारण के लिए एक तंत्र तैयार कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार के बकाया समयबद्ध तरीके से वसूल हो जाए।

2.4.7.2 बकायों की वसूली

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जीएसटी के तहत विभिन्न सम्मिलित करों के संबंध में बकायों के ब्यौरों की स्थिति निम्न तालिकानुसार थी:

तालिका-2.4.7: पूर्व-जीएसटी करों के तहत बकायों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	वीएटी	सामान्य बिक्री कर	सीएसटी	कुल
07.07.2017 को अदत्त बकाया	572.26	841.90	0.00	1,414.16
08.07.2017 से 28.02.2019 तक प्राप्त नए बकाया	133.05	42.79	0.08	175.92
कुल	705.31	884.69	0.08	1,590.08
28.02.2019 तक प्रभावित वसूली	313.61	32.69	0	346.30
शेष बकाया	391.70	852.00	0.08	1,243.78

यद्यपि, बकाया राशि नियत दिन अर्थात् 7 जुलाई 2017 को ₹1,414.16 करोड़ से 28 फरवरी 2019 को ₹1,243.78 करोड़ तक नीचे आ गई थी। विभाग को, बकाया का निपटान करने के लिए वसूली प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.4.8 निष्कर्ष

जीएसटी अधिनियम को लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर था। राज्य कर विभाग ने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचा था। मौजूदा करदाताओं के कम नामांकन और डेडिकेटेड हेल्प लाइन की स्थापना में विलंब हुआ। राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर नियमों/विनियमों में लगातार बदलाव किए गए, जिससे अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। जीएसटीएन पूर्ण आईटी समाधान प्रदान करने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 रिटर्न दाखिल करने के संबंध में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। राज्य जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने में बंधा हुआ था। क्योंकि इन मामलों में इसकी भूमिका सीमित थी। विभाग को स्थानांतरित किए हुए डीलरों द्वारा प्राप्त सभी परिवर्ती क्रेडिटों का सत्यापन करने और पूर्व-जीएसटी

आंकलनों जैसे विरासती मुद्दों को सुलझाने तथा पूर्व-जीएसटी व्यवस्था से संबंधित बकायों की वसूली शीघ्रता एवं समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है।

अप्रैल 2019 में सरकार/ विभाग को इस मामले से अवगत कराया गया था, उत्तर (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

वित्त विभाग

(राज्य कर विभाग)

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक कर विभाग के 36 निर्धारण सर्कलों की नमूना जाँच की और 232 मामलों में ₹106.23 करोड़ के कम कर उदग्रहण के विषय में बताया जिसमें ₹97.86 करोड़ के कर को सम्मिलित करते हुए 169 मामलों में खरीद को छिपाया, 31 मामलों में ₹1.46 करोड़ वाले माल भाड़े को छुपाना, 22 मामलों में ₹0.91 करोड़ वाले अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, ₹0.07 करोड़ शामिल करते हुए दो मामलों में ट्रेडिंग अकाउंट में कम टोल टैक्स का प्रकटन और ₹5.93 करोड़ वाले आठ मामलों में स्टॉक ट्रांसफर को छिपाने के मामले शामिल थे। कुछ मामलों में जहां विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी और की गई मांगों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.5 खरीद के गलत वर्गीकरण एवं छिपाव के कारण कर का कम उदग्रहण और राजस्व की हानि

राजौरी वाणिज्यिक कर सर्कल के निर्धारण प्राधिकारी द्वारा खरीदों को छिपाने और गलत वर्गीकरण का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹6.45 लाख की कम उगाही हुई। ₹2.17 लाख के राजस्व की भी हानि हुई।

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर (वीएटी) अधिनियम, 2005 में प्रावधान किया गया है कि किसी डीलर द्वारा किसी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए निर्धारण किए जाने पश्चात् और निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी अवधि के संबंध में डीलर संपूर्ण या किसी भी हिस्से का कारोबार निर्धारण से बच गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के उपरांत और इस प्रकार की पूछताछ करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझता है, वह अपने सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कारोबार के संबंध में डीलर से देय कर की राशि और अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, अधिनियम यह निर्धारित करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को छिपाता है या उसके लिए गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उचित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को दंडस्वरूप शुल्क या कर के

अलावा, छुपाए गए कर की राशि की दोगुनी राशि का भुगतान करने का निदेश देगा। भुगतान करने में चूक के लिए, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर सर्कल, राजौरी के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला है कि एक डीलर⁵⁵ ने 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 की पहली तिमाही में किसी दूसरे डीलर, जिसका निर्धारण वाणिज्यिक कर सर्कल-1 जम्मू में हुआ, से ₹153.38⁵⁶ लाख की खरीद की थी लेकिन अपने ट्रेडिंग खाते एवं वैट रिटर्न में 140.41⁵⁷ लाख की खरीद हेतु संगणित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.97 लाख की खरीद को छिपाया गया। यह भी देखा गया कि डीलर द्वारा 13.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य ₹3.56 लाख की खरीद को 5 प्रतिशत की श्रेणी में गलत संगणित किया गया। डीलर के रिटर्न का निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी, छिपाई गई खरीद और गलत वर्गीकरण का पता लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹8.62⁵⁸ लाख की कम उगाही हुई।

निर्धारण प्राधिकारी (फरवरी 2017) ने 2011-12 और 2012-13 के लेखा वर्ष के लिए डीलर का पुनर्निर्धारण किया और ₹6.55 लाख⁵⁹ की मांग की। हालांकि, यह कहा गया था (जून 2017) कि लेखा वर्ष 2010-11 के लिए पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता है, चूंकि समय सीमा के कारण मामला बाधित हो गया था।

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) ने (अप्रैल 2018) कहा कि डीलर ने एमनेस्टी स्कीम⁶⁰ का लाभ उठाया था और (जुलाई 2017 तक) ₹2.12 लाख की मूल राशि के प्रति ₹2.30 लाख जमा किए। योजना के अनुसार ब्याज और जुर्माने के संबंध में ₹6.60 लाख की मांग माफ कर दी गई थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर प्रभार के लिए कारोबार को छिपाया था, परिणामस्वरूप उसकी मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

⁵⁵ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट आदि की बिक्री में डील करना

⁵⁶ 2010-11: ₹43.73 लाख; 2011-12: ₹61.01 लाख; 2012-13 (पहली तिमाही): ₹48.64 लाख

⁵⁷ 2010-11: ₹41.79 लाख; 2011-12: ₹58.50 लाख; 2012-13 (पहली तिमाही): ₹40.12 लाख

⁵⁸ 2010-11: ₹2.17 लाख (कर: ₹0.50 लाख; ब्याज: ₹0.66 लाख; जुर्माना: ₹1.01 लाख); 2011-12: ₹1.66 लाख (कर: ₹0.41 लाख; ब्याज: ₹0.44 लाख; जुर्माना: ₹0.81 लाख); 2012-13 की पहली तिमाही: ₹4.79 लाख (कर: ₹1.25 लाख; ब्याज: ₹1.04 लाख; जुर्माना: ₹2.50 लाख)

⁵⁹ 2011-12: ₹1.58 लाख (कर: ₹0.39 लाख; ब्याज: ₹0.42 लाख; जुर्माना: ₹0.77 लाख); 2012-13: ₹4.97 लाख (कर: ₹1.23 लाख; ब्याज: ₹1.28 लाख; जुर्माना: ₹2.46 लाख)

⁶⁰ 2018 के सरकारी आदेश सं. 39-एफडी के दिनांक 05.02.2018

2.6 क्षतिग्रस्त स्टॉक पर कर की वसूली नहीं होना

क्षतिग्रस्त स्टॉक पर कर वसूली करने या डीलर द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापिस करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप, कर और ब्याज के रूप में ₹9.45 लाख की कम वसूली हुई।

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेएंडके वीएटी) अधिनियम, 2005 में कहा गया है कि, कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय के लिए किसी पंजीकृत डीलर से या किसी अन्य व्यक्ति से उन परिस्थितियों में कर योग्य वस्तुओं की खरीद करता है, जिस पर उस पंजीकृत डीलर द्वारा कोई कर देय नहीं है, यदि ऐसी खरीद के बाद, राज्य के भीतर या अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल नहीं बेचा जाता है या भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात किया जाता है तो ऐसे सामानों की खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए डीलर उत्तरदायी होगा। जेएंडके वीएटी अधिनियम, 2005 में उपबंधित किया गया है कि कर के भुगतान पर खरीदे गए माल के संबंध में, यदि कोई सामान किसी चोरी के या उनके खराब होने के कारण नहीं बेचा जाता है तो किसी पंजीकृत डीलर को किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने अनुमति नहीं दी जाएगी। जेएंडके वीएटी अधिनियम, 2005, चोरी या नष्ट होने के किसी अन्य कारणों से गुम हुए माल के संबंध में प्राप्त, कर क्रेडिट को वापिस करने का प्रावधान करता है। भुगतान करने में चूक के लिए, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर सर्कल लेह, के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अगस्त 2016) कि एक डीलर⁶¹ ने 2010-11 के दौरान अपने ट्रेडिंग खाते से, उस पर लगाए किसी भी कर का भुगतान किए बिना ₹28 लाख के क्षतिग्रस्त स्टॉक को घटा दिया था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखा वर्ष 2010-11 के लिए डीलर के रिटर्न को स्वीकार करते हुए और लेखांकन वर्ष 2011-12 के लिए डीलर का निर्धारण करते हुए, डीलर द्वारा प्राप्त आईटीसी की वापसी या कर की वसूली करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹9.45 लाख⁶² के कर और ब्याज का कम उदग्रहण हुआ।

निर्धारण प्राधिकारी (दिसंबर 2016) ने डीलर का पुनर्निर्धारण किया और ₹28 लाख के क्षतिग्रस्त स्टॉक पर प्राप्त आईटीसी को प्रत्यावर्तित कर दिया और ₹8.99 लाख⁶³ की मांग की (दिसंबर 2016)।

⁶¹ मोटर वाहनों, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, आदि में डील करना

⁶² ₹28 लाख के क्षतिग्रस्त स्टॉक पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर; ₹3.78 लाख ब्याज: ₹5.67 लाख

⁶³ कर: ₹3.78 लाख; अधिनियम की धारा 51 (4) के तहत ब्याज: ₹5.21 लाख

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) श्रीनगर (जुलाई 2018) ने बताया कि डीलर ने एमनेस्टी योजना⁶⁴ का लाभ उठाया था और ₹3.78 लाख की मूल राशि जमा की थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर प्रभार के लिए कारोबार को छिपाया, परिणामस्वरूप उसकी मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

2.7 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत स्वीकृति के कारण कम मांग

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ईंधन की खरीद पर डीलर द्वारा प्राप्त किए गए अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹8.60 लाख की कम मांग हुई।

जम्मू और कश्मीर वीएटी अधिनियम, 2005 वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले एक पंजीकृत डीलर से निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य के भीतर निर्मित सामान की खरीद पर आईटीसी के भत्ते के लिए प्रावधान करता है। आयुक्त वाणिज्यिक कर (फरवरी 2008) ने स्पष्ट किया⁶⁵ कि ईंधन की बिक्री आईटीसी का लाभ लेने के योग्य नहीं है। जम्मू और कश्मीर वीएटी अधिनियम, 2005 में निर्धारित किया गया है कि जब कोई डीलर चूक की स्थिति में है या भुगतान करने में चूक के रूप में माना जाता है, तो वह इस चूक की तारीख से प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर, जब तक वह उक्त कर के भुगतान में चूक करना जारी रखता है, साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। जम्मू और कश्मीर वीएटी अधिनियम, 2005 में आगे कहा गया है कि यदि आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी संतुष्ट होता है कि डीलर ने, कर के भुगतान को छिपाने या इससे बचने के लिए/ कर क्रेडिट का लाभ उठाया है जिसके लिए वह हकदार नहीं है, तो डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निदेश देगा कि डीलर जुर्माने के माध्यम से, निर्धारित अतिरिक्त कर की दोगुनी राशि के बराबर राशि का भुगतान करे।

वाणिज्यिक कर सर्कल उधमपुर-II (अक्टूबर 2016) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का कारोबार करने वाले एक डीलर ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की खरीद पर ₹2.14 लाख⁶⁶ के आईटीसी का दावा किया, जो उसके लिए अनुमत्य नहीं थी, चूंकि 2011-12 और 2012-13 के लेखांकन वर्षों के दौरान एक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया गया था। निर्धारण प्राधिकारी (मार्च 2015/ फरवरी 2016), डीलर का निर्धारण करते समय उन वर्षों के लिए

⁶⁴ 2018 के सरकारी आदेश संख्या 39-एफडी दिनांक 05.02.2018

⁶⁵ 2008 की वर्गीकरण सं.-09 दिनांक 28 फरवरी 2008

⁶⁶ 2011-12: ₹91,134; 2012-13: ₹1,22,912

जिसमें डीलर द्वारा एलपीजी पर आईटीसी का दावा किया गया को अस्वीकृत करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹8.60 लाख⁶⁷ की कम मांग हुई।

निर्धारण प्राधिकारी (जनवरी 2018) ने डीलर का पुनर्निर्धारण किया और ₹9.24 लाख⁶⁸ की मांग की। उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) श्रीनगर ने (जून 2018) कहा कि डीलर ने एमनेस्टी योजना⁶⁹ का लाभ उठाया था और (मई 2018 तक) ₹2.14 लाख तक की कर राशि जमा की थी। योजना के अनुसार ब्याज और जुर्माने की मांग को माफ कर दिया गया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर के लिए प्रभार्य कारोबार को छिपाया था, परिणामस्वरूप सृजित मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

2.8 कारोबार छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 (5) के तहत डीलर का आंकलन करते समय छिपाए गए कारोबार का पता लगाने के लिए निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप, ₹23.04 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने का कम उदग्रहण हुआ।

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर (वीएटी) अधिनियम, 2005 में प्रावधान किया गया है कि किसी डीलर द्वारा किसी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए निर्धारण किए जाने के पश्चात् और निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी अवधि के संबंध में डीलर संपूर्ण या किसी भी हिस्से का कारोबार निर्धारण से बच गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के उपरांत और इस प्रकार की पूछताछ करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझता है, वह अपने सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कारोबार के संबंध में डीलर से देय कर की राशि और अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को छिपाता है या उसके गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उचित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को दंड के माध्यम से शुल्क या कर के अतिरिक्त, भुगतान करने के लिए निदेशित करेगा, जो छिपाई गई कर की राशि के दोगुने के बराबर होगी। भुगतान में चूक होने की स्थिति में, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

⁶⁷ 2011-12: ₹3,79,291 (कर: ₹91,130; ब्याज: ₹1,05,901; जुर्माना: ₹1,82,260)
2012-13: ₹4,80,828 (कर: ₹1,22,912; ब्याज: ₹1,12,092; जुर्माना: ₹2,45,824)

⁶⁸ 2011-12: ₹4,06,635 (कर: ₹91,134; ब्याज: ₹1,33,241; जुर्माना: ₹1,82,260)
2012-13: ₹5,17,703 (कर: ₹1,22,912; ब्याज: ₹1,48,967; जुर्माना: ₹2,45,824)

⁶⁹ 2018 के सरकारी आदेश संख्या 39-एफडी के तहत 2018, दिनांक 05.02.2018

वाणिज्यिक कर सर्कल 'ई' जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला (नवंबर 2016) कि एक डीलर⁷⁰ ने 729 ट्रकों⁷¹ के परेषण में सीमेन्ट की अंतर्राज्य खरीद की थी, जिसके लिए वह ₹64.75 लाख⁷² के टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, डीलर ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ट्रेडिंग खातों में केवल ₹25.79 लाख⁷³ के माल भाड़े और टोल टैक्स का भुगतान किया था, ₹42.86 लाख⁷⁴ का बिक्री कारोबार⁷⁵ छिपाया। इन वर्षों (अगस्त 2014/ जनवरी 2016) के लिए डीलर का निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी, छिपाव का पता लगाने में विफल रहा, परिणामस्वरूप ₹23.04 लाख⁷⁶ के कर, ब्याज और जुर्माने का कम उदग्रहण हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर का पुनः निर्धारण (मार्च 2018) किया और उससे ₹24.40 लाख⁷⁷ की माँग की।

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) श्रीनगर ने कहा (जून 2018) कि डीलर ने (मई 2018) फरवरी 2018 की एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया था और (मई 2018) पहली किस्त के रूप में ₹1.95 लाख का भुगतान किया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर के लिए प्रभार्य कारोबार को छिपाया था, इसके परिणामस्वरूप सृजित मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

2.9 स्टॉक हस्तांतरण आवक को छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण

डीलर द्वारा 'एफ' प्रपत्रों के प्रतिप्राप्त माल के स्टॉक हस्तांतरण का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹7.28 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने की कम उगाही हुई।

जम्मू और कश्मीर, वैट अधिनियम 2005, यह बताता है कि किसी भी वर्ष या उसके भाग के लिए किसी डीलर का निर्धारण किए जाने के बाद और यदि निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी अवधि के संबंध में डीलर

⁷⁰ सीमेंट की खरीद तथा बिक्री में डील करना

⁷¹ 3-एक्सल वाहन (2011-12: 358; 2012-13: 371)

⁷² 2011-12: ₹30.43 लाख; 2012-13: ₹34.32 लाख

⁷³ 2011-12: ₹13.75 लाख; 2012-13: ₹12.04 लाख

⁷⁴ 2011-12: ₹18.35 लाख; 2012-13: ₹24.51 लाख

⁷⁵ जिसमें ₹38.96 लाख की छिपी हुई राशि पर 10 प्रतिशत सकल लाभ भी शामिल है

⁷⁶ 2011-12: कर: ₹2.48 लाख; ब्याज: ₹2.77 लाख; जुर्माना: ₹4.95 लाख

2012-13: कर: ₹3.31 लाख; ब्याज: ₹2.91 लाख; जुर्माना: ₹6.62 लाख

⁷⁷ 2011-12: कर: ₹2.46 लाख; ब्याज: ₹3.49 लाख; जुर्माना: ₹4.91 लाख

2012-13: कर: ₹3.24 लाख; ब्याज: ₹3.82 लाख; जुर्माना: ₹6.48 लाख

संपूर्ण या किसी भी हिस्से का कारोबार निर्धारण से बच गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के उपरांत और इस प्रकार की पूछताछ करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझता है, वह अपने सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कारोबार के संबंध में डीलर से देय कर की राशि और अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को छिपाता है या उसके लिए गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उचित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को दंड के माध्यम से शुल्क या कर का अतिरिक्त, भुगतान करने के लिए निदेशित करेगा, जो कि छिपाई गई कर की राशि के दोगुने के बराबर होगी। भुगतान में चूक होने की स्थिति में, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर सर्कल 'एन' जम्मू (अप्रैल 2017) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक डीलर⁷⁸ ने स्टॉक हस्तांतरण आवक विवरण में एफ-फॉर्म के संबंध में प्राप्त ₹11.22 लाख कीमत की वस्तुओं के स्टॉक हस्तांतरण का हिसाब नहीं दिया था, जिसके कारण ₹12.90⁷⁹ लाख बिक्री का कारोबार छिपाया गया। निर्धारण प्राधिकारी, मूल्यांकन आदेश (मार्च 2016), पारित करते समय, छिपाने का पता लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹7.28 लाख⁸⁰ की कम उगाही हुई।

निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर का पुनर्निर्धारण (मार्च/ जून 2018) किया और ₹7.28 लाख⁸¹ की मांग की।

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) ने (जून 2018) कहा कि डीलर ने फरवरी 2018 में एमनेस्टी योजना⁸² के लिए आवेदन किया था और उसने (अप्रैल 2018) में ₹1.82 लाख कर की संपूर्ण मूल राशि का भुगतान किया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर प्रभार्य के लिए कारोबार को छिपाया था, जिसके परिणामस्वरूप सृजित मांग एमनेस्टी योजना के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

⁷⁸ पेंट, वार्निश, इत्यादि के पुनः बिक्री में डील करना

⁷⁹ 15 प्रतिशत की दर पर आकस्मिकताओं को शामिल करते हुए

⁸⁰ कर: ₹1,74,144; ब्याज: ₹2,05,490 तथा जुर्माना: ₹3,48,288

⁸¹ कर: ₹1,74,148; ब्याज: ₹2,05,495; तथा जुर्माना: ₹3,48,297

⁸² सरकारी आदेश संख्या 39-एफडी के 2018, दिनांक 05.02.2018 के तहत

विधि विभाग

2017-18 के दौरान, 46 पंजीकृत कार्यालयों की लेखापरीक्षा नमूना जांच की गई और 633 मामलों में ₹1.82 करोड़ के स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण फीस जिसमें 40 गिरवी पत्र में ₹0.23 करोड़, 149 छोड़े गए विलेख में ₹0.45 करोड़, 248 बिक्री विलेखों में ₹0.58 करोड़ तथा 196 अन्य विलेखों/ दस्तावेजों में ₹0.56 करोड़ शामिल थे। कुछ मामले जहां विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.10 दरों को गलत लगाने के कारण पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण

जुलाई 2013 और अक्टूबर 2016 के दौरान, 71 पंजीकृत गिरवी विलेखों में पंजीकरण शुल्क की सही दर को लागू करने के लिए लेह और कारगिल के पंजीकृत प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹34.06 लाख के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

जम्मू और कश्मीर पंजीकरण अधिनियम एसवीटी 1977 (1920 एडी) में प्रावधान है कि बिक्री विलेखों और गिरवी विलेखों के लिए, जहां दस्तावेज़ में दर्ज राशि या मूल्य ₹1000 से अधिक हो, वहाँ प्रत्येक ₹100 के लिए या ₹1000 से अधिक के हिस्से पर, ₹1.20 की दर से पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

I. उप रजिस्ट्रार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) (अगस्त 2017) लेह, के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2016 के दौरान पंजीकृत 40 गिरवी विलेखों में पंजीकरण प्राधिकरण ने निर्धारित दरों पर पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया था। इन 40 गिरवी विलेखों के संबंध में पंजीकरण शुल्क की सही दरों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹23.32 लाख⁸³ के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

उप-रजिस्ट्रार सीजेएम, (फरवरी/ अगस्त 2018) लेह ने (दिसंबर 2017) कहा कि चूककर्ताओं को वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे और पांच चूककर्ताओं से ₹1.27 लाख की राशि वसूल की गई थी। यह भी कहा गया था (जुलाई 2019) कि गिरवी रखने वालों को नए नोटिस भेजे जाएंगे।

II. इसी प्रकार, उप रजिस्ट्रार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कारगिल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (अक्टूबर 2016) कि जुलाई 2013 और अक्टूबर 2015 के दौरान पंजीकृत 139 में से 31 गिरवी विलेखों में, पंजीकरण प्राधिकारी ने निर्धारित दरों पर पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया था। सही दरों को लागू

⁸³ देय पंजीकरण शुल्क: ₹33,30,732; अधिभारित पंजीकरण शुल्क: ₹9,99,224; कम पंजीकरण शुल्क: ₹23,31,508

करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹10.74 लाख⁸⁴ के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने के बाद, उप-रजिस्ट्रार सीजेएम कारगिल (फरवरी/ अप्रैल/ अगस्त 2018) ने कहा कि चूककर्ताओं को वसूली के नोटिस (दिसंबर 2017) जारी किए गए थे और (अगस्त 2018) 12 चूककर्ताओं से ₹1.17 लाख की वसूली की गई। मामले के विषय में मई/ जून 2018 में सरकार/ विभाग को अवगत कराया गया था; उनका जवाब (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

2.11 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उदग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सही दरों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.72 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और ₹0.05 लाख के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 18 के अनुसार, जहां भूमि या संपत्ति शहरी क्षेत्र में है, वहां स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के 7 प्रतिशत की दर से और जहां भूमि या संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है। उपरोक्त अनुसूची के अनुच्छेद 27 के अनुसार उपहार विलेखों के संबंध में भी समान दरें लागू की जानी थीं। एसआरओ 152 दिनांक 31 मार्च 2010 का अवलोकन करें जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने निर्देश दिया कि किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर खरीदी गई भूमि पर लगाई गई स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की कटौती होगी। हालांकि, यह कटौती उपहार विलेखों पर लागू नहीं थी। इसके अलावा, धारा 23-ए⁸⁵ द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज़ को जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में एक दावे को छोड़ता है, तो अनुसूची I के अनुच्छेद 48 के अनुसार, स्टाम्प शुल्क संपत्ति के हिस्से के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत की दर, जो भी अधिक हो, पर प्रभारित किया जाता है, जो पंजीकरण अधिनियम की धारा 78 के तहत बिक्री विलेख और गिरवी विलेखों से पंजीकरण शुल्क निर्धारित दरों पर भी प्रभारित होगा, जिस संपत्ति पर दावा छोड़ा गया है।

उप-रजिस्ट्रार (सितंबर 2017/ मार्च 2018) बिजबिहारा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2011 और अगस्त 2017 के दौरान पंजीकृत कुल

⁸⁴ देय पंजीकरण शुल्क: ₹14,69,388; प्रभार्य पंजीकरण शुल्क: ₹3,95,135; कम पंजीकरण शुल्क: ₹10,74,253

⁸⁵ धारा -23ए में कुछ दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, जो बाजार योग्य प्रतिभूतियों के गिरवी रखने से जुड़े हुए हैं, जो करारों के रूप में प्रभार्य हैं

2,986 विलेखों⁸⁶ में से, पंजीकरण प्राधिकारी ने 14 विलेखों⁸⁷ में निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस नहीं लगायी थी। इसके अलावा, आठ उपहार विलेखों पर महिलाओं के नाम पर जमीन की खरीद पर लागू स्टाम्प शुल्क पर 25 प्रतिशत की छूट अनियमित रूप से दी गई थी। सही दरों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.72 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹0.05 लाख के पंजीकरण शुल्क कम लगाये गये।

इंगित किए जाने पर, उप-न्यायाधीश बिजबिहारा (फरवरी 2018) ने कहा कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएं और वसूली की जाए। मई 2018 तक नौ विलेखों में ₹1.37 लाख⁸⁸ की राशि वसूल की जा चुकी थी।

मामले के विषय में जून 2018 में सरकार/ विभाग को अवगत कराया गया था; उनका जवाब (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

2.12 परित्याग विलेखों पर कम स्टाम्प ड्यूटी लगाना

परित्याग विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की सही दर को लागू करने में पंजीकरण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.74 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम उगाही हुई।

स्टाम्प अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 उन दस्तावेजों को निर्धारित करती हैं जो स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य हैं। अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 48 के अनुसार कोई दस्तावेज जो जारी नहीं किया गया है जैसा कि धारा 23-ए⁸⁹ में प्रावधान है कि अगर एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी निर्दिष्ट संपत्ति के खिलाफ दावा छोड़ देता है, जिस संपत्ति पर दावा किया गया है, उसके हिस्से पर बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर, जो भी अधिक हो से स्टाम्प शुल्क वसूला जाना है।

उप रजिस्ट्रार, शोपियां के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि पंजीकरण प्राधिकारी ने अप्रैल 2011 और जून 2014 के दौरान पंजीकृत 14 परित्याग विलेखों में निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया था। सही दरों को लागू करने में विफलता के कारण ₹6.74 लाख का कम स्टाम्प शुल्क लगाया गया है।

⁸⁶ बिक्री विलेख: 365; विविध विलेख: 2,621

⁸⁷ परित्याग विलेख: 08 मामले; अन्य विलेख: 01 मामला और बिक्री विलेख: 05 मामले पंजीकृत अप्रैल 2011 से जून 2017 के दौरान

⁸⁸ बिक्री विलेख: 02 मामले (स्टाम्प शुल्क: ₹16,680, पंजीकरण शुल्क: ₹2,400); परित्याग विलेख: 05 मामले (स्टाम्प शुल्क: ₹1,10,000) और उपहार विलेख: 02 मामले (स्टाम्प शुल्क: ₹7,940)

⁸⁹ धारा 23-ए में कुछ दस्तावेजों के ब्यौरे दिये गए हैं, जो बाजार योग्य प्रतिभूतियों के गिरवी रखने से जुड़े हुए हैं, जो करारों के रूप में प्रभार्य हैं

उप-रजिस्ट्रार (अप्रैल/ दिसंबर 2017) शोपियां ने कहा कि कम स्टाम्प शुल्क लगाना, अनजाने में हुआ था। आगे यह भी कहा गया है कि दो मामलों में कम स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया था तथा अन्य सभी मामलों में नोटिस जारी किए गए।

फरवरी 2018 में मामले के विषय में सरकार/ विभाग को अवगत कराया गया था; उनका जवाब (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग समान मामलों की व्यापक जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।

